[2022] 8 एस. सी. आर. 301

एसटी. मैरीज एजुकेशन सोसाइटी और ए. एन. आर.

वी.

राजेन्द्र प्रसाद भार्गव और ओआरएस।

(2022 की सिविल अपील संख्या 5789)

24 अगस्त, 2022

[अनिरुद्ध बोस और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

भारत का संविधान-कला। 226 - सी. बी. एस. ई. संबद्धता उपनियम

1 , 2 , 23 (xi), 25 (xii), 26,27,44,46,49 और 51-लिखित याचिका

-

अपीलार्थी का कर्मचारी-अपीलार्थी ने सेवा में विभिन्न कथित कदाचार के लिए प्रत्यर्थी को कारणदर्शक नोटिस सह-निलंबन आदेश जारी किया-विभागीय जांच के बाद, प्रत्यर्थी की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया-प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी द्वारा गठित अनुशासनात्मक समिति के समक्ष समाप्ति आदेश को चुनौती दी लेकिन अपील को खारिज कर दिया गया-तब प्रत्यर्थी ने अनुशासनात्मक समिति के आदेश और समाप्ति आदेश को दरकिनार करने की मांग करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की-अपीलार्थियों ने प्रारंभिक आपत्ति जताई

रिट याचिका की स्थिरता पर-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट आवेदन को बनाए रखने योग्य नहीं होने के रूप में खारिज कर दिया-ऑन

अपील, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने के फैसले को दरकिनार कर दिया

एकल न्यायाधीश और रिट याचिका को बनाए रखने योग्य ठहराया-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाः भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, भले ही जिस निकाय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती है, वह राज्य या प्राधिकरण या राज्य का एक साधन नहीं है, लेकिन शिकायत की गई कार्रवाई में एक सार्वजनिक तत्व होना चाहिए-इसके अलावा, एक आवेदन यू/आर्ट। 226 संविधान का किसी व्यक्ति या निकाय के खिलाफ बनाए रखने योग्य है

सार्वजनिक कर्तव्यों या कार्यों का निर्वहन-हालाँकि, किसी शैक्षणिक संस्थान के न्यायिक समीक्षा के अधीन होने के लिए, शिकायत किए गए अधिनियम का सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन के साथ सीधा संबंध होना चाहिए। इसके अलावा, ऐसे संस्थानों के कर्मचारी अनुच्छेद का आह्वान नहीं कर सकते हैं।

226 सेवा से संबंधित मामलों में यदि वे वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित नहीं हैं-अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका का आह्वान नहीं किया जा सकता है।

सार्वजनिक कानून तत्व के बिना व्यक्तिगत गलतियों या पारस्परिक अनुबंधों के उल्लंघन के लिए-हाथ में मामले में, चुनौती दी गई कार्रवाई में कोई नहीं था

सार्वजनिक तत्व और अनिवार्य रिट जारी नहीं की जा सकती क्योंकि कार्रवाई अनिवार्य रूप से एक निजी चरित्र की थी-रिट आवेदन को रखरखाव के आधार पर खारिज कर दिया गया-उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय,

पकड़नाः 1 . अंतिम निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

(क) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक आवेदन सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति या निकाय के खिलाफ बनाए रखा जा सकता है।

या सार्वजनिक कार्य। सार्वजनिक कर्तव्य या तो वैधानिक या अन्यथा हो सकता है और जहां यह अन्यथा है, निकाय या व्यक्ति को सार्वजनिक कानून तत्व से जुड़े जनता के प्रति उस कर्तव्य या दायित्व का ऋणी दिखाया जाना चाहिए। इसी तरह, सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन का पता लगाने के लिए, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि निकाय या व्यक्ति सामूहिक रूप से इसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था।

जनता या उसके एक वर्ग के लाभ और ऐसा करने के लिए प्राधिकरण को जनता द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। (ख) यदि यह भी माना जाए कि कोई शैक्षणिक संस्थान सार्वजनिक कर्तव्य प्रदान कर रहा है, तो जिस अधिनियम की शिकायत की गई है, उसका प्रत्यक्ष होना आवश्यक है -

सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन के साथ संबंध। यह निर्विवाद रूप से एक सार्वजनिक कानूनी कार्रवाई है जो पीड़ितों को अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र को लागू करने का अधिकार प्रदान करती है।

विशेषाधिकार रिट। व्यक्तिगत गलतियों या आपसी अनुबंधों के उल्लंघन को बिना किसी सार्वजनिक तत्व के इसके अभिन्न अंग के रूप में अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता है। जहाँ भी न्यायालयों ने अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप किया है, या तो सेवा की शर्तों को वैधानिक प्रावधानों द्वारा विनियमित किया गया था या नियोक्ता को "राज्य" का दर्जा प्राप्त था। अनुच्छेद 12 के तहत विस्तृत परिभाषा के भीतर या यह पाया गया कि शिकायत की गई कार्रवाई में सार्वजनिक कानून तत्व है।

(ग) परिणामस्वरूप यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि जबकि कोई निकाय किसी सार्वजनिक कार्य का निर्वहन कर रहा हो या सार्वजनिक कर्तव्य का पालन कर रहा हो और इस प्रकार

संवैधानिक न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी होने के कारण, इसके कर्मचारियों को सेवा से संबंधित मामले के संबंध में अनुच्छेद 226 द्वारा प्रदत्त उच्च न्यायालय की शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा, जहां वे वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित या नियंत्रित नहीं हैं। एक शैक्षिक

संस्थान एस. टी. के विभिन्न पहलुओं को छूते हुए असंख्य कार्य कर सकता है।

मैरीज एजुकेशन सोसाइटी v. राजेन्द्र प्रसाद भार्गव

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती के लिए उत्तरदायी होना। सेवा शर्तों के नियंत्रण के अभाव में या वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित, मामला बना रहेगा

सेवा के एक सामान्य अनुबंध का क्षेत्र। (घ) भले ही यह माना जाए कि निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय द्वारा शिक्षा प्रदान करना एक सार्वजनिक कर्तव्य है।

शब्द की अभिव्यक्ति, एक गैर-शिक्षण कर्मचारी का एक कर्मचारी जो स्कूल द्वारा अपने प्रशासन या आंतरिक प्रबंधन के उद्देश्य से नियुक्त किया जाता है, केवल उसके द्वारा बनाई गई एक एजेंसी है। यह मायने नहीं रखता कि "ए" या "बी" को स्कूल द्वारा उस कर्तव्य के निर्वहन के लिए नियोजित किया जाता है या नहीं। किसी भी मामले में, एक स्कूल और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बीच अनुबंध के रोजगार की शर्तों को दायित्व का एक अविभाज्य हिस्सा नहीं माना जा सकता है और न ही माना जाना चाहिए शिक्षा प्रदान करें। यह विशेष रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में है जो किसी विशेष कर्मचारी के खिलाफ शुरू की जा सकती है। यह केवल वहाँ है जहाँ गैर-शिक्षण कर्मचारियों के कर्मचारी को हटाने को कुछ वैधानिक प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है, कानून के उल्लंघन में नियोक्ता द्वारा इसके उल्लंघन में अदालत द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। लेकिन इस तरह का हस्तक्षेप कानून के उल्लंघन के आधार पर होगा न कि सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में हस्तक्षेप के आधार पर।

(ङ) मूल रिट याचिका में दलीलों से, यह स्पष्ट है कि किसी भी सार्वजनिक कानून का कोई भी तत्व उत्तेजित या अन्यथा नहीं बनाया गया है। दूसरे शब्दों में, चुनौती दी गई कार्रवाई का कोई सार्वजनिक तत्व नहीं है और कार्रवाई के रूप में परमादेश की रिट जारी नहीं की जा सकती है।

यह अनिवार्य रूप से एक निजी चरित्र का था। [पैरा 68] [346-बी-एच; 347 ए-ई]

मारवाड़ी बालिका विद्यालय बनाम। आशा श्रीवास्तवगा (2020) 14 एस. सी. सी. 449: [2019] 2 एससीआर 722-प्रतिष्ठित।

रमेश अहलूवालिया बनाम। पंजाब राज्य, (2012) 12 एस. सी. सी. 331 [2012] 12 एस. सी. आर. 315; कार्यकारी समिति [2022] 8 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वैश डिग्री कॉलेज बनाम। लक्ष्मी नारायण, (1976) 2 एस. सी. सी. 58 [1976] 2 एस. सी. आर. 1006; किलोमीटर में। रेजिना वी। सेंट एलॉयसिन्स हाई एलीमेंट्री स्कूल और एक अन्य, (1972) 4 एस. सी. सी. 188: [1971] पूरक। एस. सी. आर 6: ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1920, किमी. अनीता वर्मा बनाम। डी. ए. वी. कॉलेज प्रबंधन

समिति, ऊंचाहार, राय बरेली, (1992) 1 यू. पी. एल. बी. ई. सी. 30; सतीम्बला शर्मा बनाम। सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी

इंजीनियरिंग महाविद्यालय, (1997) 3 एस. सी. सी. 571: [1997] 2 एस. सी. आर. 368; बिन्नी लिमिटेड और अन्य बनाम। वी. सदाशिवन और अन्य, (2005) 6 एससीसी 657: [2005] 2 पूरक। एस. सी. आर. 421; अपोलो टायर्स लिमिटेड बनाम सी. पी. सेबेस्टियन (2009) 14 एस. सी. सी. 360: [2009] 7 एससीआर 336; के. के. सक्सेना बनाम सिंचाई और जल निकासी और अन्य पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग, (2015) 4 एससीसी 670: [2014] 14 एस. सी. आर. 892; श्री अनादी मुक्त सद्गुरु श्री मुक्ताजी वंदासजीस्वामी

सुवर्ण जयंती महोत्सव स्मारक ट्रस्ट और अन्य। वी. वी. आर. रुदानी और अन्य। (1989) 2 एससीसी 691: [1989] 2 एससीआर 697; जी. बस्सी रेड्डी बनाम। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान और ए. एन. आर. , (2003) 4 एससीसी 225: [2003] 1 एस. सी. आर. 1174; प्रागा टूल्स कॉर्पोरेशन बनाम। श्री सी. ए. इमानुल, (1969) 1 एस. सी. सी. 585 [1969] 3 एस. सी. आर. 773; फेडरल बैंक लिमिटेड बनाम सागर थॉमस (2003) 10 एस. सी. सी. 733: [2003] 4 पूरक। एस. सी. आर. 121; जेनेट जयपॉल बनाम। एस. आर. एम. विश्वविद्यालय और अन्य। , 2015 (13) स्केल 622; प्रबंधन समिति, दिल्ली पब्लिक स्कूल और अन्र। वी. एम. के. गांधी (2015) 17 एस. सी. सी. 353; त्रिगुण चंद ठाकुर बनाम। बिहार राज्य और अन्य। , (2019) 7 एस. सी. सी. 513; रॉयचन अब्राहम बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, आकाशवाणी 2019 सभी 96; एस. के. वार्ष्णेय बनाम सिविल अपील सं. में प्राचार्य, अवर लेडी ऑफ फातिमा एच. एस. एस.। 8783-8784 2003 का दिनांक 19 जुलाई, 2007 (सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया)

भारत का न्यायालय); विद्या राम मिश्रा बनाम। प्रबंध समिति श्री जय नारायण कॉलेज, (1972) 1 एस. सी. सी. 623: [1972] 3 एससीआर 320: AIR 1972 SC 1450; टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, (2002) 8 एससीसी 481: [2002] 3 पूरक। एससीआर 587; अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी बनाम। गुजरात राज्य (1974) 1 एस. सी. सी. 717 [1975] 1 एस. सी. आर. 173; उन्नीकृष्णन पी. जे. वी.

एसटी. मैरीज एजुकेशन सोसाइटी v. राजेन्द्र प्रा

भार्गव

ए. पी. राज्य (1993) 4 एस. सी. सी. 111: 1993 (3) स्केल 248;

सुष्मिता बसु बनाम बालीगंज शिक्षा समिति, (2006) 7

एससीसी 680: [2006] 6 पूरक। एस. सी. आर. 506; रामकृष्णन

मिशन वी. कागो कुन्या (2019) 16 एस. सी. सी. 303: [2019] 5

एस. सी. आर. 452; उत्तम चंद रावत बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2021)

सभी एल. जे. 393 (एफ. बी.)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 2 एससीआर 722

पैरा

13

प्रतिष्ठित

[2012] 12 एस. सी. आर. 325

संदर्भित किया गया है

पैरा

13

[1976] 2 एससीआर 1006

संदर्भित किया गया है

पैरा

28

[1971] पूरक। एससीआर 6

पैरा

31

संदर्भित किया गया है

[2011] 10 एससीआर 203

पैरा

34

संदर्भित किया गया है

[1997] 2 एससीआर 368

संदर्भित किया गया है

पैरा

34

[2005] 2 पूरक। एससीआर 421

संदर्भित किया गया है

पैरा

34

[2009] 7 एससीआर 336

संदर्भित किया गया है

पैरा

34

[2014] 14 एससीआर 892

पैरा

35

संदर्भित किया गया है

[1989] 2 एससीआर 697

पैरा

36

संदर्भित किया गया है

[2003] 1 एससीआर 1174

संदर्भित किया गया है

पैरा

36

[1969] 3 एससीआर 773

पैरा

36

संदर्भित किया गया है

[2003] 4 पूरक। एससीआर 121

संदर्भित किया गया है

पैरा

36

1972] 3 एससीआर 320

संदर्भित किया गया है

पैरा

48

[2002] 3 पूरक। एससीआर 587

पैरा

52

संदर्भित किया गया है

[1975] 1 एससीआर 173

संदर्भित किया गया है

पैरा

52

[2006] 6 पूरक। एससीआर 506

संदर्भित किया गया है

पैरा

55

[2019] 5 एससीआर 452

संदर्भित किया गया है

पैरा

62

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं।

2022 तक।

सर्वोच्च के 15.12.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 की रिट अपील No.485 में इंदौर में मध्य प्रदेश सरकार की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पाई अमित, रोहित आर. साबू, सुश्री पंखुड़ी भारद्वाज, अधिवक्ता। के लिए अपीलार्थी। रुपेश कुमार, राजीव शर्मा, सुश्री पंखुड़ी श्रीवास्तव, सुश्री नीलम शर्मा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

राजेन्द्र प्रसाद भार्गव, व्यक्तिगत रूप से।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे. बी. पारदीवाला, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील एक निजी गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान और इसकी अनुशासनात्मक समिति के कहने पर की गई है।

उच्च न्यायालय) और 2017 की रिट अपील संख्या 485 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, बेंच इंदौर की एक डिवीजन बेंच द्वारा पारित 15.12.2021 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जिसके द्वारा डिवीजन बेंच ने उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले और आदेश को दरकिनार कर दिया और कहा कि एक निजी गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के कर्मचारी द्वारा उसकी सेवा से बर्खास्तगी को चुनौती देने के लिए दायर एक रिट याचिका कानून में बनाए रखने योग्य है।

3. वर्तमान अपील में दो महत्वपूर्ण मुद्दे विचार के लिए हैं।

इस न्यायालय का:

(क) क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका एक निजी गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक के खिलाफ विचारणीय है।

संस्था?

(ख) क्या किसी निजी शैक्षणिक संस्थान और उसके कर्मचारी से जुड़े निजी क्षेत्र में सेवा विवाद पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका में निर्णय लिया जा सकता है?

दूसरे शब्दों में, भले ही सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने वाला कोई निकाय रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी हो, क्या उसके सभी निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या केवल वे निर्णय जिनमें सार्वजनिक तत्व हो सकते हैं

रिट अधिकार क्षेत्र के तहत न्यायिक रूप से समीक्षा की गई?

4. उपरोक्त दो प्रश्न, हालांकि परेशान नहीं हैं, फिर भी बहुत सारे मामले कानूनों के बावजूद, हमेशा एक बहस को जन्म देते हैं।

फैक्ट मैट्रिक्स

5. अपीलार्थी संख्या 1-सोसायटी एक निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान चलाती है। अपीलार्थी सं. 2 अनुशासनात्मक समिति है जिसका गठन एस. टी. ने किया है।

मैरीज एजुकेशन सोसाइटी v. राजेन्द्र प्रसाद भार्गव [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अपीलार्थी सं. 1 द्वारा-अपने आंतरिक प्रबंधन के उद्देश्य के लिए सोसायटी। इसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 (विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष मूल रिट आवेदक) अपीलार्थी संख्या 1 के कार्यालय कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों से यह प्रतीत होता है कि सेवा में विभिन्न कथित कदाचार के लिए प्रतिवादी संख्या 1 को अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांकित कारणदर्शक सूचना-सह निलंबन आदेश जारी किया गया था। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 को जारी किया गया था

अनिवार्य रूप से छह आधारों पर 08.12.2014 दिनांकित विभागीय आरोप पत्र। 6. दिनांक 08.12.2014 के आरोप पत्र में निहित आरोपों और आरोपों का विवरण इस प्रकार हैः

" चार्ज I

कि, आपने 4 अगस्त, 2014 को स्कूल की महिला शिक्षकों से पी. टी. ए. निधि प्राप्त करने और जमा करने से इनकार कर दिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। आपने उनसे अशिष्टता से, ज़ोर से बात की और आपकी भाषा अनुचित थी। प्राप्त करने से आपका इनकार और

कार्य घंटों के दौरान राशि जमा करना एक घोर दुराचार और आपके कर्तव्य की अवहेलना है और अनुशासन के प्रतिकूल कार्य है।

प्रभार-II

कि, आपको स्कूल के प्राचार्य के खिलाफ बहुत ही अपमानजनक, अपमानजनक और अपमानजनक भाषा का उपयोग करके विभिन्न अधिकारियों को अनुचित पत्र लिखने की आदत है, गलत आरोप लगाना जो छवि को खराब कर रहा है और

इस स्कूल की प्रतिष्ठा।

प्रभार-III

कि, आपने अपने बैंक खाते को बंद करके संस्था को धमकी दी है और दबाव डाला है जिसमें आपका मासिक वेतन पिछले कई वर्षों से जमा किया जा रहा था। आपने वास्तव में अगस्त, 2014 के महीने के लिए अपना मासिक वेतन स्वीकार करने और प्राप्त करने से भी इनकार कर दिया, जो आपको चेक द्वारा दिया गया था।

व्यक्तिगत रूप से 01.09.2014 पर। अगले महीने में आपको 1 से 8 सितंबर और 9 से 30 सितंबर तक का वेतन भी निर्वाह भत्ते के रूप में चेक ऑन के माध्यम से दिया गया था।

01.10.2014 जिसे आपने फिर से स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि "मैं निर्वाह भत्ता लूंगा लेकिन जब तक और जब तक मैं नहीं लेता।

न्याय प्राप्त करें। "(पत्र दिनांक 10.10.2014)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वेतन स्वीकार करने से आपके इनकार से पता चलता है कि आप नियोक्ता-कर्मचारी के रिश्ते को जारी नहीं रखना चाहते हैं।

स्कूल के साथ क्योंकि स्कूल आपकी सेवा नहीं ले सकता है

प्रभार-IV

कि पहले भी प्रिंसिपल के साथ आपका अशिष्ट व्यवहार

स्कूल को देखा गया जिसके लिए आपको चेतावनी दी गई थी और अपने व्यवहार में सुधार करने और विनम्रता से बात करने की सलाह दी। लेकिन आपने अपने व्यवहार में कोई सुधार नहीं दिखाया है।

आपने पहले के दो प्रधानाचार्यों के साथ भी दुर्व्यवहार किया है

अर्थात्ः (1) सिस्टर ललिता (लेटर डेट 17.04.2009) और (2) सिस्टर ललिता।

फ्लाविया।

चार्ज-वी कि,

आप संस्थान को पत्र लिखकर धमकी दे रहे थे

हमारे देश के राष्ट्रपति कि अगर आपको कुछ होता है

घर पर इस तरह के व्यवहार के कारण शारीरिक या मानसिक रूप से काम पर

इसकी एकमात्र जिम्मेदारी स्कूल पर होगी। प्रबंधन, प्राचार्य और विभिन्न प्राधिकरण। इस व्यवहार ने स्कूल को पुलिस में शिकायत करने के लिए मजबूर कर दिया है।

आपकी धमकी के बारे में।

प्रभार-VI

कि, आपको अपनी इच्छानुसार छुट्टी लेने और अपनी सुविधा के अनुसार छुट्टी लेने पर जोर देने की आदत है, कभी-कभी बिना छुट्टी के।

कोई सजा भी "।

विभागीय जांच के समापन के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 की सेवाओं को 08.05.2015 दिनांकित आदेश के माध्यम से समाप्त कर दिया गया।

7. प्रतिवादी संख्या 1 ने विभिन्न आधारों पर समाप्ति के आदेश को अनुशासन समिति के समक्ष अपील में चुनौती दी।

अपीलार्थी सं. 1. सी. बी. एस. ई. संबद्धता उपनियमों के नियम 49 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपील दायर की गई थी। अनुशासनात्मक समिति में (i) वरिष्ठ एम. दीपा, अध्यक्ष, (ii) वरिष्ठ एम. जॉर्जिना, स्कूल प्रबंधक, (iii) एस. एन. पुरवार, सलाहकार सी. बी. एस. ई. नामांकित, और (iv) साधना परांजपे, स्कूल प्रबंध समिति की सदस्य शामिल थीं। याचिका

अनुशासन समिति द्वारा खारिज किए जाने का आदेश दिया गया था, अपीलार्थी

यहाँ संख्या 2, दिनांकित 23.09.2016 आदेश के अनुसार।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया।

भारत। रिट याचिका में, प्रतिवादी संख्या 1 ने निम्नलिखित पाँच उत्तरदाताओं को रखाः

1. भारत संघ

2. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

3. सेंट मैरी एजुकेशन सोसाइटी

4. विद्यालय की अनुशासन समिति

5. श्री टी. आर. लापालिकर (सेवानिवृत्त उप श्रम आयुक्त)

पूछताछ अधिकारी के रूप में नियुक्त)

10. इसमें अपीलकर्ताओं ने एक निजी गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान के एक कर्मचारी द्वारा दायर रिट याचिका की स्थिरता पर उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रारंभिक आपत्ति जताई। 11. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने इसमें अपीलार्थियों द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को बरकरार रखा और रिट आवेदन को विचारणीय नहीं होने के रूप में खारिज कर दिया। विधि द्वारा बनाए रखने योग्य नहीं होने के आधार पर दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से रिट आवेदन को अस्वीकार करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा के. कृष्णमाचार्युलु (उपरोक्त) के मामले में दिए गए फैसले का संबंध है, उस मामले में निजी संस्थान में किसी पद पर विधिवत नियुक्त शिक्षकों के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब जनहित का कोई तत्व बनाया जाता है और संस्थान उस तत्व को पूरा कर रहा होता है, तो शिक्षक, संस्थान की शाखा भी [2022] 8 एस. सी. आर. के तहत प्रदान किए गए उपचार का लाभ उठाने का हकदार है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 226। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता शिक्षक नहीं है, बल्कि लिपिक कर्मचारी एल. डी. सी. का सदस्य है, इसलिए वह नहीं है।

उस निर्णय के लाभ का हकदार।

जहां तक फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉइज एसोसिएशन (उपरोक्त) के मामले में फैसले का संबंध है, वह एक ऐसा मामला था जिसमें शिक्षकों ने अपने वेतनमान और सेवा की शर्त को अपने समकक्षों के समान करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

सरकारी स्कूलों और उस संदर्भ में यह देखा गया कि 'अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का प्रबंधन नहीं हो सकता है

मौलिक अधिकार की आड़ में अनुमति दी जाए

संविधान के अनुच्छेद 30 (1) द्वारा किसी भी अन्य निजी कर्मचारी की तुलना में अपने कर्मचारियों पर अधिक अत्याचार या शोषण करने की गारंटी दी गई है, इसलिए उक्त निर्णय अलग है -

अपने स्वयं के तथ्य।
इसी तरह श्रीमती कीर्ति बुगडे (उपरोक्त) के मामले में इस अदालत के एकल पीठ के फैसले का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

याचिकाकर्ता को क्योंकि उस फैसले में याचिकाकर्ता एक शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारी का सदस्य था लेकिन वह नहीं है

तो वर्तमान मामले में।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3, जो एक निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान है, की कार्रवाई के खिलाफ प्रमाणपत्र की रिट जारी करने के लिए दायर रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बनाए रखने योग्य नहीं है, जिसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है, हालांकि याचिकाकर्ता को इस तरह के अन्य प्रावधानों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता के साथ।

कानून में उपलब्ध उपाय "।

12. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी संख्या 1 इसमें एम. पी. उच्च न्यायालय (खंड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2005 की धारा 2 (1) के तहत अपील की गई। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को दरकिनार करना उचित समझा और अपील को यह मानते हुए अनुमति दी कि सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर रिट आवेदन संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बनाए रखने योग्य था। अपील न्यायालय ने कहा कि

विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किए जाने का मामला।

एसटी. मैरीज एजुकेशन सोसाइटी v. राजेन्द्र प्रसाद भार्गव [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

खंड पीठ ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 11. चूँकि उपरोक्त सभी पिछले निर्णयों पर विचार किया गया है, इसलिए मारवाड़ी (उपरोक्त) का निर्णय एक बाध्यकारी मिसाल है। वर्तमान अपीलार्थी को एक निजी संस्थान से बर्खास्त कर दिया गया था। मारवाड़ी (ऊपर) और रमेश अहलूवालिया (ऊपर) में भी एक रिट याचिका में शिक्षक/अधिकारी की बर्खास्तगी पर सवाल उठाया गया था। इस फैसले के अनुसार, रिट याचिका विचारणीय है। योगेंद्र में इस न्यायालय की एक खंड पीठ

सिंह धाकड़ बनाम दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी और अन्य। 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन एम. पी. 162 ने भी यही विचार रखा है। जहां तक वैशाली डिग्री कॉलेज, शामली और अन्य की कार्यकारी समिति में उच्चतम न्यायालय के फैसले का संबंध है। बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य। (1976) 2 एस. सी. सी. 58 का संबंध है, यह लागू नहीं होता है

वर्तमान मामला क्योंकि यह एक रिट याचिका से उत्पन्न नहीं हुआ था।

12. उपरोक्त पर विचार करते हुए, डब्ल्यू. पी. No.1052/2017 में पारित 10.07.2017 दिनांकित विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। रिट याचिका को उसके मूल नंबर पर बहाल कर दिया जाता है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि रिट अदालत दो महीने के भीतर याचिका पर तेजी से फैसला करने का हर संभव प्रयास करेगी।

13. रिट अपील की अनुमति ऊपर बताए गए हद तक दी जाती है।

13. उपरोक्त से यह प्रतीत होता है कि अपील न्यायालय ने मारवाड़ी के मामले में दिए गए इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया था।

बालिका विद्यालय बनाम। आशा श्रीवास्तवगा ने (2020) 14 एस. सी. सी. 449 में रिपोर्ट की, जिसने बदले में, रमेश अहलूवालिया बनाम के मामले में अपने निर्णय पर भरोसा किया है। पंजाब राज्य, (2012) 12 एस. सी. सी. 331 में सूचित किया गया।

14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष हैं।

अपील सं. की कानूनी स्थिति। 1 - समाज

महू, इंदौर, मध्य प्रदेश में सेंट मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से सभी लड़कियों का स्कूल, जिसकी स्थापना फ्रांसीसी लोगों के एक समूह द्वारा की गई थी 1893 में कैथोलिक नन। यह विद्यालय एक निजी गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत गारंटीकृत सुरक्षा प्राप्त है। [2022] 8 एस. सी. आर. पर बिल्कुल कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है।

विद्यालय की कार्यप्रणाली और प्रशासन। यहाँ प्रतिवादी संख्या 1 अपनी समाप्ति से पहले इस स्कूल में कार्यरत था। यह विद्यालय वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी. बी. एस. ई.) से संबद्ध है और इस प्रकार इसके नियमों और उपनियमों द्वारा शासित है। इसके अलावा, सोसायटी के अपने उपनियम हैं, अर्थात् (1) सेंट मैरी स्कूल के कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें और (2) शिक्षण और गैर-शिक्षण के लिए सेवा नियम। शिक्षण कर्मचारी। अपीलार्थी सं. 1-समाज और विद्यालय पूर्णतः निजी संस्थान हैं, जिनके पास सरकार की कोई सहायता या नियंत्रण या सरकार का कोई साधन नहीं है, और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर "राज्य" नहीं है।

16. सी. बी. एस. ई.-आई. एफिलिएशन बायलाउस

अध्याय-I

1. संक्षिप्त शीर्षक और परिभाषाएँः

1. इन उपनियमों को केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड कहा जाएगा।

शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबद्धता उपनियम।

2. ये संशोधनों के साथ 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हैं।

समय-समय पर संशोधन करें।

3. वापस लेने के संबंध में किसी भी विवाद (ओं) के मामले में नहीं

संबद्धता प्रदान करना या उन्नयन से संबंधित कोई अन्य मामला और/या किसी स्कूल और/या किसी अन्य व्यक्ति, समाज, कंपनी या संगठन से संबद्धता से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी मामला, केवल दिल्ली में अदालतों और न्यायाधिकरणों को ऐसे विवादों पर विचार करने का विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।

2. परिभाषाएँः

(i) "संबद्धता" का अर्थ है किसी विद्यालय का औपचारिक नामांकन।

निम्नलिखित निर्धारित बोर्ड के अनुमोदित स्कूलों की सूची

/ आठवीं कक्षा तक के अध्ययन के स्वीकृत पाठ्यक्रमों के साथ-साथ

निर्धारित पाठ्यक्रमों के अनुसार छात्रों को तैयार करना

बोर्ड की अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परीक्षाएँ।

एक्स

एक्स

एक्स

(XXXXII) "स्कूल" का अर्थ है कोई भी मान्यता प्राप्त स्कूल जो शिक्षा प्रदान करता है।

प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्तर

शिक्षा और इसमें शामिल हैं:

(i) द्वारा स्थापित, स्वामित्व या नियंत्रित एक विद्यालय

उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण; मैरी एजुकेशन सोसाइटी v.

राजेन्द्र प्रसाद भार्गव [जे. बी. पारदीवाला,

((ख) एक सहायता प्राप्त विद्यालय जो उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से अपने पूरे या आंशिक खर्चों को पूरा करने के लिए सहायता या अनुदान प्राप्त करता है।

((ग) निर्दिष्ट श्रेणी से संबंधित एक विद्यालय; और

((iv) एक गैर-सहायता प्राप्त स्कूल जो उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से अपने खर्चों को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त नहीं करता है।

अध्याय-6

23. विद्यालय प्रबंधन समिति की शक्तियाँ और कार्यः

(xi) यह कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

25. विद्यालय के प्रमुख-कर्तव्य, शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँः (xii) विद्यालय के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के कार्य का पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन और नियंत्रण करना।

अध्याय-7

कर्मचारियों के लिए सेवा नियमः

26. संक्षिप्त शीर्षकः

(1) बोर्ड से संबद्ध/संबद्ध प्रत्येक स्कूल अपने कर्मचारियों के लिए सेवा नियम बनाएगा जो इसके अनुसार होंगे।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा अधिनियम, यदि अधिनियम इसे अपनाना अनिवार्य बनाता है, अन्यथा बाद की धाराओं में दिए गए सेवा नियमों के अनुसार।

(2) राज्य/संघ के शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी के साथ सेवा अनुबंध किया जाएगा।

क्षेत्र या जैसा कि परिशिष्ट III में दिया गया है, यदि देश में लागू राज्य शिक्षा अधिनियम/अधिनियम के अनुसार अनिवार्य नहीं है

विद्यालय स्थित है। 27. नियुक्तियाँः

(1) संबंधित देश/भारत सरकार के अनुसार समूह 'डी' कर्मचारियों (मल्टीटास्किंग स्टाफ/हाउसकीपिंग) को छोड़कर सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां प्रबंध समिति द्वारा या तो सीधी भर्ती द्वारा या [2022] 8 एस. सी. आर. द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा की जाएंगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत या संबंधित देश के उपयुक्त अधिनियमों के तहत पंजीकृत स्कूल सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी और इसके अनुसार और उस पर

यदि वैधानिक प्रावधान मौजूद है तो कौन सी शर्तें प्रबंध समिति तय कर सकती है जो बोर्ड/सरकार के मानदंडों के अनुरूप होंगी। समूह 'डी' के कर्मचारियों की नियुक्ति होगी

(2) चयन समिति में शामिल होंगे - क) विद्यालय प्रमुख की भर्ती के मामले में:

((i) सोसायटी का अध्यक्ष;

((ख) प्रबंध समिति के अध्यक्ष; ((ग) प्रबंध समिति द्वारा नामित एक शिक्षाविद्;

((iv) विद्यालयों के प्रशासन का अनुभव रखने वाला व्यक्ति,

प्रबंध समिति द्वारा नामित; और

((v) बोर्ड का एक शैक्षणिक अधिकारी या प्रतिनिधि।

ख) शिक्षकों और लाइब्रेरियन की भर्ती के मामले में:

((ख) विद्यालय का अध्यक्ष। ((ग) प्रबंध समिति द्वारा नामित एक शिक्षाविद्,

और

((iv) एक विषय विशेषज्ञ

ग) लिपिक कर्मचारी/प्रयोगशाला की भर्ती के मामले में

टैन्ट:

((i) प्रबंध समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य।

ई. अध्यक्ष द्वारा नामित प्रबंध समिति।

((ख) विद्यालय का मुखिया। ((iii) विद्यालय के प्रबंधक/संवाददाता

घ) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों/बहुउद्देशीय कर्मचारियों की भर्ती के मामले में,

रखरखाव कर्मचारी:

(i) विद्यालय का प्रमुख; मैरी एजुकेशन सोसाइटी v. राजेन्द्र प्रसाद भार्गव [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

((ii) विद्यालय प्रबंध समिति का एक मनोनीत सदस्य।

(4) विद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी के नियुक्ति पत्र उसकी प्रबंधन समिति द्वारा जारी किए जाएंगे। (5) जहाँ चयन समिति द्वारा किया गया कोई भी चयन विद्यालय की प्रबंधन समिति को स्वीकार्य नहीं है, वहाँ प्रबंधन समिति इस प्रकार का अपना कारण दर्ज करेगी।

गैर-स्वीकृति और मामले को बोर्ड और ट्रस्ट या सोसायटी या कंपनी को धारा 25 के तहत पंजीकृत करने के लिए संदर्भित करें।

कंपनी अधिनियम, 1956 या स्कूल चलाने वाले संबंधित देश के उपयुक्त अधिनियमों के तहत और ट्रस्ट या सोसायटी, जैसा भी मामला हो, इसका फैसला करेगी।

(6) कर्मचारियों की नियुक्ति इस समझौते के प्रावधानों के अधीन की जाएगी और उन्हें इसमें निहित प्रावधानों की सभी आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

44. आचार संहिता -

अध्याय-7 के उपनियम संख्या 44 में निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक कर्मचारी आचार संहिता के दायरे में आएगा। यह उन कार्यों को निर्धारित करता है जो आचार संहिता के उल्लंघन का गठन करते हैं, जिन कार्यों को उल्लंघन के रूप में नहीं माना जाएगा, वे एक संहिता है -

आचरण करें। 46. अनुशासनात्मक प्रक्रियाः

निलंबन

1. विद्यालय प्रबंधन समिति किसी कर्मचारी को नियुक्त कर सकती है।

निलंबन के तहत जहाँः ए। उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है या लंबित है।

या

बी। उसके खिलाफ किसी भी आपराधिक अपराध के संबंध में एक मामला जांच या मुकदमे के तहत है।

सी। उन पर गबन का आरोप है;

या

डी। उस पर किसी भी छात्र या स्कूल के किसी कर्मचारी के प्रति क्रूरता/शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया जाता है।

या

ई. उस पर किसी भी माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया जाता है। अभिभावक छात्र या स्कूल का कर्मचारी;

या

एफ. उन पर किसी अन्य आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है।

49. भारी जुर्माना लगाने की प्रक्रियाः

1. जहाँ तक संभव हो, जाँच के बाद के अलावा किसी भी कर्मचारी पर कोई बड़ा जुर्माना लगाने का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। हो, नीचे निर्दिष्ट तरीके सेः

क) अनुशासनात्मक प्राधिकारी उस आरोप के आधार पर निश्चित आरोप तय करेगा जिस पर जांच करने का प्रस्ताव है और आरोप की एक प्रति उन आरोपों के बयान के साथ कर्मचारी को प्रस्तुत की जाएगी जिन पर वे आधारित हैं और उसे ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी जो अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

प्राधिकरण लेकिन दो सप्ताह के बाद नहीं, उसके बचाव का एक लिखित बयान और यह भी बताना कि क्या वह सुनना चाहती है व्यक्तिगत रूप से;

ख) बचाव पक्ष का लिखित बयान प्राप्त होने पर, या जहां निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा कोई बयान प्राप्त नहीं होता है, अनुशासनात्मक प्राधिकारी स्वयं ऐसे आरोपों की जाँच कर सकता है जो स्वीकार नहीं किए गए हैं या यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो इस उद्देश्य के लिए अधिकारी की नियुक्ति और जाँच कर सकता है।

ग) जाँच के समापन पर जाँच अधिकारी जाँच की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें प्रत्येक आरोप पर उसके निष्कर्षों को उसके कारणों के साथ दर्ज किया जाएगा। घ) अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच की रिपोर्ट पर विचार करेगा और प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्ष दर्ज करेगा और यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी की राय है कि कोई भी प्रमुख दंड लगाया जाना चाहिए तो वहः

((ii) उसके संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का उल्लेख करते हुए उसे लिखित सूचना दें और उसे निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कहें, जो दो सप्ताह से अधिक न हो। प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ प्रतिनिधित्व जो वह करना चाहे;

(iii) कर्मचारी द्वारा किए गए अभ्यावेदन की प्राप्ति पर, अनुशासनात्मक प्राधिकरण यह निर्धारित करेगा कि क्या

कर्मचारी पर यदि कोई जुर्माना लगाया जाना चाहिए और समिति को उसके पूर्व अनुमोदन के लिए जुर्माना लगाने के अपने अस्थायी निर्णय के बारे में सूचित करना चाहिए।

प्राधिकरण। 2. अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा समिति की मंजूरी प्राप्त होने के बाद के अलावा कोई बड़ा जुर्माना लगाने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

51. अनुशासन समितिः

1. यदि कर्मचारी अनुशासनात्मक प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील करना चाहता है, तो अपील को अनुशासनात्मक समिति को भेजा जाएगा। अनुशासन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगेः

क) विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामित समिति का कोई सदस्य।

ख) विद्यालय का प्रबंधक, और जहाँ उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है, समिति का कोई अन्य व्यक्ति।

सभापति द्वारा नामित।

ग) बोर्ड के उपयुक्त प्राधिकारी का एक नामित, वह

सलाहकार के रूप में कार्य करें।

घ) स्कूल का प्रमुख, सिवाय इसके कि जहाँ अनुशासनात्मक

कार्यवाही उसके खिलाफ है, किसी अन्य स्कूल के प्रमुख के खिलाफ है।

सी. बी. एस. ई. या शिक्षा निदेशक द्वारा नामित अधिनियम इस प्रकार प्रदान करता है।

ई) एक शिक्षक जो स्कूल प्रबंधन का सदस्य है

अध्यक्ष द्वारा नामित विद्यालय की समिति

समिति।

2. अनुशासन समिति सावधानीपूर्वक जाँच करेगी

जाँच अधिकारी के निष्कर्ष दंड लगाने के कारण

अनुशासनात्मक प्राधिकरण और प्रतिनिधित्व द्वारा अभिलिखित

कर्मचारी द्वारा और आदेश पारित करें जो वह उचित समझे।

उपनियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट-IV के संबंध में है

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान। परिशिष्ट-IV का खंड 6 पढ़ता है इस प्रकारः

" 6. अल्पसंख्यक शिक्षा में कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण

संस्थानः जबकि प्रबंधन को अभ्यास करना चाहिए

जाँच करें और सजा देने से पहले एक निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन करें दिया जाता है। सत्ता के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन द्वारा, राज्य के पास हितों की रक्षा करने की नियामक शक्ति है।

उनके कर्मचारियों और उनकी सेवा शर्तों सहित

अधिरोपित दंडक प्रक्रिया।

(जोर दिया गया)

अपीलकर्ताओं के बारे में स्वयं के बारे में सुझाव

17. श्री पाई अमित, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील,

धीरे से प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय की खंड पीठविवादित निर्णय और आदेश पारित करने में एक गंभीर त्रुटि हुई। यह निवेदन किया जा सकता है कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का यह विचार सही है कि अपीलार्थी 1 द्वारा पारित समाप्ति के आदेश को चुनौती देने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर रिट याचिका को कानून में बनाए रखने योग्य नहीं कहा जा सकता है। वह करेगा।

यह है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ एक अंतर-न्यायालय अपील में

टी ने यह विचार नहीं लिया है कि अनुच्छेद 226 एसटी के तहत रिट याचिका।

18. श्री पाई प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रमेश अहलूवालिया (उपरोक्त) और मारवाड़ी के मामलों में दिए गए इस न्यायालय के दो फैसलों पर भरोसा करके खुद को गलत निर्देश दिया। बालिका विद्यालय (ऊपर)।

19. श्री पाई ने निम्नलिखित तीन पहलुओं पर बहुत जोर दिया

विषयः

(क) निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी संख्या 1 एक निजी गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक है।

शैक्षणिक संस्थान;

(ख) अपीलार्थियों और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच विवाद विशुद्ध रूप से संविदात्मक प्रकृति का है और इसमें कोई सार्वजनिक कानून तत्व शामिल नहीं है, और

(ग) प्रतिवादी संख्या 1 ने यहां केवल समाप्ति के दो आदेशों के खिलाफ राहत मांगी है और दोनों को अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा एक निजी निकाय के रूप में अपनी क्षमता में पारित किया गया है।

20. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थिति में, श्री पाई प्रार्थना करते हैं कि उनकी अपील में योग्यता होने के कारण, इसकी अनुमति दी जा सकती है और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित आदेश को रद्द किया जा सकता है।

स्वयं जवाबदेह के बारे में सुझाव

नहीं। 1 21. इसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 वस्तुतः व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ। उन्होंने इस न्यायालय में अपने द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रस्तुतियों पर भरोसा किया। उनमे

10.08.2022 दिनांकित लिखित प्रस्तुतियाँ, उन्होंने मुख्य रूप से निम्नानुसार कहा हैः

" कि प्रत्यर्थी नं। 1 (राजेन्द्र प्रसाद भार्गव) हैं।

इस माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार इन लिखित टिप्पणियों को दाखिल करना

तारीखः 08.08.2022 मांग की कि निर्णय और अंतिम आदेश

तारीखः 15.12.2021 मध्य के माननीय उच्च न्यायालय का

प्रदेश, रिट अपील सं. 485/2017 में इंदौर की पीठ को कृपया बरकरार रखा जाए जिसके तहत प्रत्यर्थी सं. 1 की रिट याचिका थी

बनाए रखने योग्य।

कि प्रतिवादी नंबर 1 सेंट मैरी एचआर में काम कर रहा था। सेक. सेंट मैरी एजुकेशन सोसाइटी नामक अपीलार्थी द्वारा संचालित स्कूल, महू (एम. पी.) 1 जुलाई, 1987 से एल. डी. सी. के रूप में कार्य कर रहा है। कि, प्रत्यर्थी नं। 1 8 एस. सी. आर. ने ईमानदारी से, लगन से अपना कर्तव्य निभाया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निष्ठा (निष्ठा) और उनकी 27 वर्षों की सेवा के दौरान कड़ी मेहनत के साथ और उनकी सेवा पुस्तिका और वार्षिक गोपनीय सूची में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। वह, जहाँ तक प्रत्यर्थी नं। 1 उसके पास ज्ञान और जानकारी है, जिसके आधार पर प्रतिवादी नं। 1 विनम्रतापूर्वक इस न्यायालय से प्रार्थना करता है किः

I) मैंडमस एक बहुत व्यापक उपाय है जो जहाँ भी पाया जाए अन्याय तक पहुँचने के लिए उपलब्ध होना चाहिए। अनुच्छेद 226 के तहत उस राहत को देने के रास्ते में तकनीकी बाधाएं नहीं आनी चाहिए।

" एक शब्द को अनिवार्य होने के साथ-साथ प्रकृति में परिभाषित करने वाला भी कहा जाता है।

जब उस शब्द के अर्थ में शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए।

जैसा कि इस माननीय न्यायालय द्वारा परमादेश के बारे में उपरोक्त कथन में "मस्ट" शब्द का उपयोग किया गया है, परमादेश अनिवार्य होने के साथ-साथ प्रकृति में परिभाषित भी हो जाता है। इसलिए यह साबित होता है कि मैंडमस एक बहुत व्यापक उपाय है जो जहाँ भी पाया जाए अन्याय तक पहुँचने के लिए आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। अनुच्छेद 226 के तहत उस राहत को देने के रास्ते में तकनीकी बाधाएं नहीं आनी चाहिए। इसलिए, मैं (प्रत्यर्थी संख्या 1) इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूं कि वह रिट याचिका की स्थिरता पर अपीलार्थी द्वारा आग्रह किए गए तर्क को कृपया अस्वीकार कर दे और कृपया विवादित निर्णय और दिनांकित अंतिम आदेश को बरकरार रखेः

15.12.2021 मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2017 की रिट अपील संख्या 485 में इंदौर की पीठ द्वारा उचित और कानूनी रूप से अभिनिर्धारित।

1. कृपया एस. एल. पी. के जवाब के पृष्ठ संख्या 2 और 3 को पढ़ें।

या

कृपया एस. एल. पी. के जवाब के पृष्ठ संख्या 76 और 77 को पढ़ें (अनुबंध आर-2 रमेश अहलूवालिया मामला (2012) 12 एस. सी. सी. 331 में रिपोर्ट किया गया)।

2. कृपया पृष्ठ संख्या 89 पर पैरा 20, पृष्ठ संख्या 89-90 पर पैरा 21 और एसएलपी के जवाब के पृष्ठ संख्या 90 पर पैरा 22 पढ़ें। (अनुलग्नक आर-3 एंडी मुक्ता मामला 1989 ए. आई. आर. 1607 में दर्ज किया गया) (1989) 2 एस. सी. सी. 691

3. कृपया एस. एल. पी. के जवाब के पृष्ठ संख्या 6 और 7 को पढ़ें।

या मैरीज एजुकेशन सोसाइटी v. राजेन्द्र प्रसाद भार्गव [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

कृपया एस. एल. पी. (अनुलग्नक आर-4 मारवाड़ी बालिका विद्यालय मामला) के जवाब के पृष्ठ संख्या 97,98 और 99 पर पैरा 15 पढ़ें।

(2020) 14 एस. सी. सी. 449 में सूचित किया गया। 4. कृपया एस. एल. पी. (अनुलग्नक पी-5 योगेंद्र सिंह धाकड़ बनाम दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी, 2014 एस. सी. सी.) का पृष्ठ संख्या 49 पढ़ें।

ऑनलाइन एमपी 162: ए. आई. आर. 2014 (एन. ओ. सी. 580) 211 "

22. अपनी लिखित दलीलों में, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने इस न्यायालय को निम्नलिखित सामाजिक परिस्थितियों पर विचार करने के लिए भी कहा हैः

" i) कि, मेरा सबसे छोटा बेटा अश्विन भार्गव इस बीमारी से पीड़ित है।

नासोपारेन्क्स का कैंसर (दुर्लभ प्रकार का सिर और नाक)

कर्क) और मैं उसके जीवन में गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ

चिकित्सकीय उपचार।

(ii) वह, मेरी पत्नी श्रीमती। 53 वर्षीय सुनीता भार्गव का कार्नियो वर्टेब्रल जंक्शन अनामोली के लिए ऑपरेशन किया गया है।

25.12.2021 . उसे 02.01.2022 पर छुट्टी दे दी गई है और अभी भी पूरी तरह से बिस्तर पर है। उसकी दवा अभी भी चल रही है।

फिजियोथेरेपी और भविष्य की अवधि के लिए नियमित अनुवर्ती कार्रवाई

मूल्यांकन। उसके ऑपरेशन के लिए मैंने एक दोस्त से 350000/- रुपये का ऋण लिया है जिससे मुझ पर अधिक वित्तीय बोझ पड़ा है। मुझे दिन-रात उसकी सेवा करनी है ठीक है।

iii) इसके अलावा, मैं बाईं आंख में मोतियाबिंद रोग से पीड़ित हूं।

iv) कि, मैं घुटने के दर्द की समस्या से भी पीड़ित हूँ

दाहिना पैर "। 23. उन्होंने निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की हैः

" न्याय के हित में इस न्यायालय के लिए विनम्र प्रार्थनाः

1. इसलिए, मैं (प्रत्यर्थी संख्या 1) इस न्यायालय से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूं कि वह रिट याचिका की स्थिरता पर अपीलार्थी द्वारा आग्रह किए गए तर्क को अस्वीकार करे और कृपया विवादित निर्णय और दिनांकित अंतिम आदेश को बरकरार रखेः 15.12.2021

मध्य उच्च न्यायालय द्वारा उचित और कानूनी रूप से अभिनिर्धारित

2017 की रिट अपील संख्या 485 में इंदौर में पीठ।

2. कि, अपीलार्थी द्वारा पारित दिनांक 23.09.2016 का विवादित आदेश, अवैध, अनुचित और निष्क्रिय होने के कारण, कृपया दरकिनार किया जा सकता है; [2022] 8 एस. सी. आर.

3. कि, दिनांकित समाप्ति आदेश 08.05.2015 द्वारा पारित किया गया

अनुशासनात्मक प्राधिकारी को कृपया अलग रखा जा सकता है; 4. कि, प्रतिवादी सं. को बहाल करने के लिए कृपया आवश्यक आदेश पारित किए जा सकते हैं। 1 सभी परिणामी लाभों और वापस मजदूरी के साथ अपने मूल पद पर;

5. कोई अन्य राहत, जिसे यह न्यायालय आवश्यक समझ सकता है

न्याय के हित में, प्रत्यर्थी संख्या के पक्ष में भी दिया जा सकता है। 1. "

24. बाद में, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दिनांक 11.08.2022 पर अतिरिक्त प्रस्तुतियाँ दायर कीं, जिनमें निम्नलिखित हैं -

1 :

" 1. वह, जब उत्तरदाता नं। मुझे उक्त संस्थान (सेंट मैरी एचआर) में नियुक्त किया गया था। सेक. स्कूल), उक्त संस्थान एम. पी. बोर्ड (राज्य बोर्ड) से संबद्ध था। उस समय स्कूल को राज्य से अनुदान भी मिल रहा था।

एम. पी. सरकार

2. कि, जबकि प्रत्यर्थी नहीं। मुझे नियुक्त किया गया था

01.07.1987 लेकिन सेवा की शर्तों और दिशानिर्देशों के लिए

शिक्षकों को पहली बार 26.07.2013 पर दिया गया था

प्रत्यर्थी को स्कूल नं। 1 . 3. कि, प्रत्यर्थी की नियुक्ति के समय सं। आई द

विकास और उससे जुड़े या आकस्मिक मामले वहाँ तक।

4. उक्त अधिनियम के अध्याय 2 का पैरा 3 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" स्कूली शिक्षा को विनियमित करने की राज्य सरकार की शक्ति।

इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर और उसके बाद से, राज्य

सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार राज्य के सभी स्कूलों में शिक्षा को विनियमित कर सकती है।

25. उन्होंने इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर भरोसा किया है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपनी प्रस्तुतियों को स्पष्ट करता है कि रिट आवेदन विद्वान एस. टी. के समक्ष दायर किया गया था।

एकल न्यायाधीश विचारणीय था और उस पर विचार किया जाना चाहिए था।

अपने गुण।

विश्लेषण

26. अपीलार्थियों और प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद और इस पर भी विचार करने के बाद

अभिलेख पर सामग्री, अब हम अपने द्वारा ऊपर उल्लिखित दो प्रमुख मुद्दों का उत्तर देने के लिए आगे बढ़ते हैं।

27. प्रतिवादी संख्या 1 ने यहाँ इस तथ्य पर बहुत जोर दिया है कि स्कूल में उनकी नियुक्ति के समय, वही था

मध्य प्रदेश राज्य बोर्ड से संबद्ध। यह उनका मामला है कि प्रासंगिक समय पर स्कूल को मध्य प्रदेश राज्य सरकार से अनुदान-सहायता प्राप्त होती थी। बाद में यह विद्यालय सी. बी. एस. ई. से संबद्ध हो गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 का तर्क यह प्रतीत होता है कि चूंकि स्कूल केंद्रीय बोर्ड यानी सी. बी. एस. ई. से संबद्ध है, इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" के दायरे में आता है। यह विद्यालय बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संक्षेप में, "अधिनियम 2009") के तहत प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सी. बी. एस. ई. से संबद्ध है। चूंकि अपीलार्थी संख्या 1 शिक्षा प्रदान करने में लगा हुआ है, इसलिए इसे सार्वजनिक कार्यों का निष्पादन कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अपीलार्थी संख्या 1 को सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने वाला कहा जा सकता है। भले ही सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने वाला निकाय रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी हो, उसके सभी निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं हैं। केवल उन निर्णयों की, जिनमें सार्वजनिक तत्व हैं, रिट अधिकार क्षेत्र के तहत न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यदि चुनौती दी गई कार्रवाई में सार्वजनिक तत्व नहीं है, तो आदेश का एक रिट जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि कार्रवाई को अनिवार्य रूप से एक निजी आदेश के रूप में कहा जा सकता है।

चरित्र।

28. हम शुरुआत में ही कह सकते हैं कि सी. बी. एस. ई. केवल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 और स्कूल के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है।

इससे संबद्ध कानून का एक हिस्सा नहीं है और इसलिए एक वैधानिक निकाय नहीं है। कानून द्वारा बनाए गए निकाय और कानून के अनुसार शासित निकाय के बीच के अंतर को इस न्यायालय द्वारा वैश्य डिग्री कॉलेज की कार्यकारी समिति v में समझाया गया है। लक्ष्मी नारायण, (1976) 2 एस. सी. सी. 58, निम्नानुसार हैः

" इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक निकाय जो क़ानून द्वारा बनाया गया है और एक निकाय जो अस्तित्व में आने के बाद [2022] 8 एस. सी. आर. में शासित है, के बीच एक स्पष्ट अंतर है।

कानून के प्रावधानों के अनुसार। दूसरे शब्दों में, स्थिति यह प्रतीत होती है कि संबंधित संस्थान को अपने अस्तित्व के लिए एक क़ानून का ऋणी होना चाहिए जो इसकी शक्तियों का प्रमुख स्रोत होगा। ऐसे मामलों में सवाल यह है कि

यह पूछा जाता है कि यदि कोई क़ानून नहीं है तो क्या संस्थान का कोई कानूनी अस्तित्व होगा। अगर जवाब नकारात्मक है, तो

निस्संदेह यह एक सांविधिक निकाय है, लेकिन यदि संस्थान के पास है

संबंधित कानून के किसी भी संदर्भ के बिना अपना अलग अस्तित्व लेकिन केवल वैधानिक द्वारा शासित है

प्रावधानों के अनुसार इसे वैधानिक निकाय नहीं कहा जा सकता है।

29. जैसा कि ऊपर कहा गया है, स्कूल सुविधा के लिए सी. बी. एस. ई. से संबद्ध है, अर्थात्, मान्यता और पाठ्यक्रम या अध्ययन के पाठ्यक्रम और अधिनियम 2009 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के उद्देश्य से।

30. प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रचारित तर्क यह है कि प्रबंधन समिति के खिलाफ एक रिट याचिका बनाए रखने योग्य है।

उसके द्वारा संचालित किसी संस्थान (अल्पसंख्यक) के मामलों को नियंत्रित करना, यदि वह सी. बी. एस. ई. द्वारा निर्धारित किसी भी नियम और उपनियमों का उल्लंघन करता है। पहला, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, सी. बी. एस. ई. स्वयं एक सांविधिक निकाय नहीं है और न ही इसके द्वारा बनाए गए विनियमों का कोई सांविधिक बल है। दूसरा, केवल यह तथ्य कि बोर्ड स्वयं कुछ नियमों और शर्तों पर संस्थानों को मान्यता देता है, किसी भी व्यक्ति को प्रबंधन समिति के खिलाफ कोई लागू करने योग्य अधिकार प्रदान नहीं करता है। 31. किलोमीटर में। रेजिना वी। सेंट एलॉयसिन्स हाई एलीमेंट्री स्कूल और दूसरा, (1972) 4 एस. सी. सी. 188: ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1920 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल यह तथ्य कि एक संस्थान को एक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त है, स्वयं किसी शिक्षक द्वारा किसी भी नियम के उल्लंघन या गैर-अनुपालन के आधार पर प्रबंधन के खिलाफ एक पीड़ित पक्ष को एक प्रवर्तनीय अधिकार नहीं देता है जो मान्यता की शर्तों का हिस्सा था। यह निम्नानुसार देखा गयाः

" इस प्रकार नियम उन शर्तों को नियंत्रित करते हैं जिन पर सरकार मान्यता और सहायता प्रदान करेगी और सरकार इन नियमों को प्रबंधन पर लागू कर सकती है। लेकिन ऐसे नियमों का प्रवर्तन सरकार और सरकार के बीच का मामला है।

प्रबंधन, और एक तीसरा पक्ष, जैसे कि प्रबंधन के किसी आदेश से व्यथित शिक्षक नियमों से व्युत्पन्न नहीं हो सकते हैं।

किसी भी नियम के उल्लंघन या गैर-अनुपालन के आधार पर प्रबंधन के खिलाफ कोई लागू करने योग्य अधिकार। एसटी.

मैरीज एजुकेशन सोसाइटी v. राजेन्द्र प्रसाद भार्गव [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

32. किलोमीटर में। अनीता वर्मा बनाम। डी. ए. वी. कॉलेज प्रबंधन

समिति, ऊंचाहार, राय बरेली, (1992) 1 यू. पी. एल. बी. ई. सी. 30:

" ..... 30 जहाँ एक शिक्षक की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था, न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका नहीं है

संस्थान के रूप में माना नहीं जा सकता के रूप में रखरखाव योग्य

राज्य की साधनता। मेसर्स में इस मामले पर विस्तार से विचार किया गया था। हाबंस कौर बनाम। प्रबंधन समिति, गुरु तेघाहादुर पब्लिक स्कूल, मेरठ और अन्न। , 1992 श्रम और औद्योगिक मामले 2070 (सभी), जिसमें याचिकाकर्ता की सेवाओं को C.B.S.E द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान की प्रबंध समिति द्वारा समाप्त कर दिया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि C.B.S.E द्वारा बनाए गए संबद्धता उप-कानूनों का कोई वैधानिक बल नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय

एक के खिलाफ वैधानिक प्रावधान के अनुपालन को लागू कर सकते हैं

एली अहमद अब्दी बनाम में इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले में आयोजित प्रबंधन समिति। जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद और अन्य। , ए. आई. आर. 1977 ऑल। 539. संबद्धता बाय-C.B.S.E के कानून. जिनके पास कोई वैधानिक बल नहीं है, पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ एकमात्र उपाय संपर्क करना है।

C.B.S.E. के उल्लंघन के संबंध में अपनी शिकायतें डालना

संबद्धता बाय-संस्था द्वारा कानून।

33. इस प्रकार, जहां कोई शिक्षक या गैर-शिक्षण कर्मचारी प्रबंधन समिति की कार्रवाई को चुनौती देता है कि उसने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है

इंजीनियरिंग, (1997) 3 एससीसी 571]। सीबीएसई से संबद्ध स्कूल है इसलिए अनुच्छेद 226 [2022] 8 एस. सी. आर. के तहत अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी एक "प्राधिकरण"।

भारत के संविधान का [बिन्नी लिमिटेड और एक अन्य v देखें। वी. सदाशिवन और अन्य (2005) 6 एस. सी. सी. 657]। हालांकि, एक न्यायिक समीक्षा

किसी पक्ष द्वारा चुनौती दी गई कार्रवाई को रिट अधिकार क्षेत्र का सहारा लेकर केवल तभी किया जा सकता है जब कोई सार्वजनिक कानून तत्व हो और व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध को लागू करने के लिए नहीं हो। व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध में सभी शामिल हैं।

कर्मचारी की सेवा से संबंधित मामले-पुष्टि, निलंबन, स्थानांतरण, समाप्ति आदि। [देखिएः अपोलो टायर्स लिमिटेड बनाम सी. पी. सेबेस्टियन (2009) 14 एस. सी. सी. 360]।

35. के. के. सक्सेना बनाम के मामले में यह न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय

सिंचाई और जल निकासी आयोग और अन्य, (2015) 4 एस. सी. सी. 670 , इस विषय पर अपने पहले के निर्णयों की विस्तृत समीक्षा के बाद, निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

" 43. एक मिनट से क्या होता है और ध्यान से पढ़ें

इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय यह हैं कि यदि कोई व्यक्ति या प्राधिकरण के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक 'राज्य' है

संविधान, स्वीकार्य रूप से अनुच्छेद के तहत एक रिट याचिका

226 ऐसे व्यक्ति या शरीर के खिलाफ झूठ बोलेगा। फिर भी हम यह जोड़ा जा सकता है कि ऐसे मामलों में भी रिट लागू करने के लिए झूठ नहीं बोलेगा

निजी कानून अधिकार। इस पर कई निर्णय हैं।

पहलू और उन निर्णयों को इस रूप में संदर्भित करना आवश्यक नहीं है

यह किसी कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का मूल सिद्धांत है।

प्रशासनिक कानून। कारण स्पष्ट है। निजी कानून यह है कि

एक कानूनी प्रणाली का हिस्सा जो सामान्य कानून का एक हिस्सा है

व्यक्तियों के बीच संबंध शामिल हैं, जैसे कि अनुबंध या अपकृत्य। इसलिए, भले ही रिट याचिका होगी

एक प्राधिकरण के खिलाफ बनाए रखने योग्य, जो 'राज्य' है संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत, कोई भी रिट जारी करने से पहले,

विशेष रूप से मैंडमस की रिट, न्यायालय को संतुष्ट करना होगा कि

ऐसे प्राधिकारी की कार्रवाई, जिसे चुनौती दी गई है, में है

निजी कानून से अलग सार्वजनिक कानून का क्षेत्र।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

52. यह सामान्य बात है कि व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध को लागू नहीं किया जा सकता है। इस नियम के तीन अपवाद हैं, अर्थात्:

(i) जब कर्मचारी भारत संघ या राज्य के तहत काम करने वाला लोक सेवक हो; अनुसूचित जनजाति।

((ii) जब ऐसा कर्मचारी किसी प्राधिकरण/निकाय द्वारा नियोजित किया जाता है जो अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक राज्य है।

भारत का संविधान; और

((ii) जब ऐसा कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (ओं) के अर्थ के भीतर 'श्रमिक' है और मशीनरी को लागू करके उसकी बर्खास्तगी के संबंध में विवाद उठाता है। उक्त अधिनियम के अधीन।

पहले दो मामलों में, रोजगार का निजी कानूनी चरित्र समाप्त हो जाता है और इस तरह के रोजगार के लिए 'स्थिति' संलग्न होती है। मामलों की तीसरी श्रेणी में, यह औद्योगिक विवाद अधिनियम है जो श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण को बर्खास्तगी को अवैध पाए जाने की स्थिति में बहाली देने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है।

36. के. के. सक्सेना (ऊपर) में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

1 . श्री अनादी मुक्त सद्गुरु श्री मुक्ताजी वंदासजीस्वामी सुवर्ण जयंती महोत्सव स्मारक ट्रस्ट और अन्य। वी. वीआर.

रुदानी और ओआरएस। (1989) 2 एस. सी. सी. 691

2. जी बस्सी रेड्डी बनाम अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान

& एन. आर. , (2003) 4 एससीसी 225

3. प्रागा टूल्स कॉर्पोरेशन बनाम। श्री सी. ए. इमानुल, (1969) 1

एस. सी. सी. 585

4. फेडरल बैंक लिमिटेड बनाम सागर थॉमस (2003) 10 एस. सी. सी. 733

37. जेनेट जेयापॉल बनाम में यह न्यायालय। एस. आर. एम. विश्वविद्यालय और अन्य। , 2015 (13) स्केल 622 में रिपोर्ट किया गया था कि जब एक निजी निकाय अपने सार्वजनिक कार्यों का प्रयोग करता है, भले ही वह राज्य न हो, पीड़ित व्यक्ति

न केवल सामान्य कानून के तहत, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका के माध्यम से भी एक उपाय है। बिन्नी लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संविधान का अनुच्छेद 226 इस तरह से जोड़ा गया है कि एक निजी प्राधिकरण के खिलाफ भी अनिवार्य रिट जारी की जा सकती है। हालांकि, इस तरह के निजी प्राधिकरण को एक सार्वजनिक कार्य का निर्वहन करना चाहिए और जिस निर्णय को ठीक करने या लागू करने की मांग की गई है, वह सार्वजनिक कार्य के निर्वहन में होना चाहिए। 38. बिन्नी लिमिटेड (ऊपर) में फैसले का पैराग्राफ 11 नीचे दिया गया है:

" न्यायिक समीक्षा दुरुपयोग के मामलों को रोकने के लिए बनाई गई है
सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा कर्तव्य की शक्ति और उपेक्षा। हालांकि,
हमारे संविधान के तहत अनुच्छेद 226 को इस तरह से जोड़ा गया है कि एक निजी व्यक्ति के खिलाफ भी आदेश का एक रिट जारी किया जा सकता है
प्राधिकरण। हालाँकि, ऐसे निजी प्राधिकरण को होना चाहिए
एक सार्वजनिक कार्य का निर्वहन और यह कि निर्णय की मांग की
ठीक किया जाना चाहिए या लागू किया जाना चाहिए जनता के निर्वहन में होना चाहिए
कार्य. राज्य की भूमिका का काफी विस्तार हुआ और
प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को बनाने के प्रयास किए गए हैं।
सरकारी कार्य। कई निगमों और
सरकार द्वारा कंपनियों को चलाने के लिए भी गठन किया गया है उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को जारी रखना। ये आए हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रूप में जाना जाता है। हालांकि, इसमें
संविधान के अनुच्छेद 12 को दी गई व्याख्या, यह न्यायालय
यह विचार लिया कि इनमें से कई कंपनियाँ और निगम
यह संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे में आ सकता है।
साथ ही, ऐसे निजी निकाय भी हैं जो हो सकते हैं
सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन। रेखा खींचना मुश्किल है
सार्वजनिक कार्यों और निजी कार्यों के बीच जब
विशुद्ध रूप से निजी प्राधिकरण द्वारा निर्वहन किया जा रहा है। एक शरीर है
एक "सार्वजनिक कार्य" करना जब यह कुछ हासिल करना चाहता है
जनता या जनता के एक वर्ग के लिए सामूहिक लाभ और
जनता या जनता के उस वर्ग द्वारा स्वीकार किया जाता है कि
ऐसा करने का अधिकार। इसलिए निकाय सार्वजनिक कार्यों का संचालन करते हैं।

जब वे हस्तक्षेप करते हैं या सामाजिक या आर्थिक गतिविधियों में भाग लेते हैं

जनहित के मामले।

(जोर दिया गया)

39. इस न्यायालय ने जाँच करने के लिए अपने विभिन्न अन्य निर्णयों पर विचार किया

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सार्वजनिक कानून उपचार का अनुरोध। बिन्नी लिमिटेड (ऊपर) में न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 29. इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि मैंडमस का एक रिट या

अनुच्छेद 226 के तहत उपचार पहले से ही एक सार्वजनिक कानूनी उपचार है। और आम तौर पर निजी के खिलाफ एक उपाय के रूप में उपलब्ध नहीं है

गलतियाँ। इसका उपयोग विभिन्न अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किया जाता है

सार्वजनिक या सार्वजनिक/वैधानिक प्राधिकरणों को मजबूर करने के लिए

अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना और अपनी सीमा के भीतर कार्य करना। यह हो सकता है जब सत्ता का गलत प्रयोग हो तो न्याय करने के लिए उपयोग किया जाए

या कर्तव्यों का पालन करने से इनकार करना। यह रिट सराहनीय रूप से सुसज्जित है।

प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण के रूप में कार्य करना।

यह मैरी एजुकेशन सोसाइटी v. राजेन्द्र प्रसाद

भार्गव [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

किसी निजी निकाय या व्यक्ति के खिलाफ भी रिट जारी की जा सकती है।

विशेष रूप से अनुच्छेद 226 में उपयोग किए गए शब्दों को ध्यान में रखते हुए

संविधान। हालांकि, मैंडमस का दायरा सीमित है

उस प्राधिकारी की पहचान की तुलना में जिसके खिलाफ इसकी मांग की गई है। अगर निजी निकाय एक सार्वजनिक कार्य कर रहा है और इनकार कर रहा है

किसी भी अधिकार का थोपा गया सार्वजनिक कर्तव्य के संबंध में है

ऐसे निकाय, सार्वजनिक कानून उपचार को लागू किया जा सकता है। कर्तव्य।

सार्वजनिक निकाय पर डालना या तो वैधानिक या अन्यथा हो सकता है

और इस तरह की शक्ति का स्रोत महत्वहीन है, लेकिन, फिर भी,

ऐसी कार्रवाई में सार्वजनिक कानून का तत्व होना चाहिए। कभी-कभी,

सार्वजनिक कानून और निजी कानून में अंतर करना मुश्किल है। कानूनी उपचार "।

(जोर दिया गया)

40. अंतिम पैरा में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दियाः

" 32. इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह बहुत अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि

किसी निजी निकाय के खिलाफ परमादेश की रिट जारी की जा सकती है जो

के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक राज्य नहीं है

संविधान और ऐसा निकाय अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है।

एक पक्ष द्वारा चुनौती दी गई कार्रवाई की समीक्षा। लेकिन ऐसा होना चाहिए। एक सार्वजनिक कानून तत्व और इसका उपयोग लागू करने के लिए नहीं किया जा सकता है

पक्षों के बीच विशुद्ध रूप से निजी अनुबंध किए गए।

(जोर दिया गया)

41. उपरोक्त कानूनी स्थिति की पृष्ठभूमि में, यह सुरक्षित रूप से हो सकता है

उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति

भारत के शीर्षक का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, भले ही

जिसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती है, वह राज्य या प्राधिकरण या प्राधिकरण नहीं है।

राज्य की मानसिकता लेकिन इसमें एक सार्वजनिक तत्व होना चाहिए

शिकायत की।

42. उपरोक्त उद्धरण को पढ़ने से पता चलता है कि निर्णय की मांग की गई थी

किसी सार्वजनिक कार्य के निर्वहन में सुधार या प्रवर्तन किया जाना चाहिए। एतऽ अपीलार्थी सं. 1 केर उद्देश्य आ उद्देश्य अछि -आर. टी. शिक्षा, जो एक सार्वजनिक कार्य है। हालाँकि, यहाँ मुद्दा [2022] 8 एस. सी. आर.

यह प्रतिवादी संख्या 1 की सेवा की समाप्ति के संबंध में है, जो मूल रूप से एक सेवा अनुबंध है। एक निकाय को सार्वजनिक कार्य करने के लिए कहा जाता है जब वह जनता या जनता के एक वर्ग के लिए कुछ सामूहिक लाभ प्राप्त करना चाहता है और जनता या जनता के उस वर्ग द्वारा ऐसा करने के अधिकार के रूप में स्वीकार किया जाता है।

43. प्रबंधन समिति के मामले में, दिल्ली पब्लिक स्कूल और अन्न। वी. एम. के. गांधी, ने (2015) 17 एस. सी. सी. 353 में रिपोर्ट किया, इस न्यायालय ने कहा कि एक निजी स्कूल के खिलाफ कोई रिट बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक "राज्य" नहीं है।

44. त्रिगुण चंद ठाकुर बनाम के मामले में। बिहार राज्य और अन्य। , (2019) 7 एस. सी. सी. 513 में सूचित, इस न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के दृष्टिकोण को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि निजी रूप से प्रबंधित स्कूल का एक शिक्षक, भले ही राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त हो, प्रबंधन द्वारा पारित सेवा से बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ रिट याचिका दायर नहीं कर सकता है।

45. सतीम्बला शर्मा (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि गैर-सहायता प्राप्त निजी अल्पसंख्यक स्कूल जिन पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अपनी स्वायत्तता के कारण प्रशासनिक नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर "राज्य" नहीं है। चूंकि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार राज्य के खिलाफ उपलब्ध है, इसलिए गैर-सहायता प्राप्त निजी अल्पसंख्यक निजी स्कूलों के खिलाफ इसका दावा नहीं किया जा सकता है।

46. रायचन अब्राहम बनाम के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 2019 सभी 96, इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः

" 38. भले ही यह माना जाए कि कोई शैक्षणिक संस्थान सार्वजनिक कर्तव्य प्रदान कर रहा है, शिकायत किए गए अधिनियम का सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन के साथ सीधा संबंध होना चाहिए। यह निर्विवाद रूप से एक सार्वजनिक कानूनी कार्रवाई है जो पीड़ितों को अधिकार प्रदान करती है।

एक विशेषाधिकार रिट के लिए अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान करना। व्यक्तिगत गलतियाँ या पारस्परिक अनुबंधों का उल्लंघन बिना किसी सार्वजनिक तत्व के इसके अभिन्न अंग के

अनुच्छेद के तहत याचिका के माध्यम से भाग को ठीक नहीं किया जा सकता है

226. जहाँ कहीं भी न्यायालयों ने हस्तक्षेप किया है

अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र, या तो सेवा की शर्तों को वैधानिक प्रावधानों द्वारा विनियमित किया गया था या नियोक्ता के पास था

मैरीज एजुकेशन सोसाइटी v की विस्तृत परिभाषा के भीतर 'राज्य' की स्थिति।

राजेन्द्र प्रसाद भार्गव [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अनुच्छेद 12 के तहत या यह पाया गया कि कार्रवाई की शिकायत की गई थी इसमें सार्वजनिक कानून का तत्व है।

(जोर दिया गया)

47. हम इस न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश का उल्लेख कर सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं।

ई एस. के. वार्ष्णेय बनाम का मामला। प्राचार्य, अवर लेडी ऑफ फातिमा एच. एस. एस.,

सिविल अपील सं। 8783-8784 2003 का दिनांक 19 जुलाई, 2007, जिसमें

इस्पुट एक ऐसा था जो काम करने वाले शिक्षक की सेवानिवृत्ति की आयु से संबंधित था।

गैर-सहायता प्राप्त संस्थान। इस न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए प्राथमिकता दी

ई कर्मचारी, निम्नानुसार धारितः

" दोनों याचिकाओं को विद्वान एकल द्वारा खारिज कर दिया गया था

न्यायाधीश इस आधार पर कि गैर-सहायता प्राप्त के खिलाफ कोई रिट नहीं होगी

निजी संस्थान और रिट याचिकाएं नहीं थीं

बनाए रखने योग्य।

इससे व्यथित होकर, रिट अपील दायर की गई है

डिवीजन बेंच बिना किसी परिणाम के। डिवीजन बेंच ने कहा कि

कि रिट याचिकाएँ किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ बनाए रखने योग्य नहीं हैं

संस्थान। इससे आहत होकर ये अपीलें दायर की गई हैं।

अपीलार्थी के वकील ने दिए गए निर्णय पर भरोसा किया

के. कृष्णमाचार्युलु और अन्य में यह न्यायालय। बनाम श्री

वेंकटेश्वर हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड अन्न। , (1997) 3 एससीसी 571। उन्होंने विशेष रूप से किए गए अवलोकन पर भरोसा किया

इस न्यायालय द्वारा आदेश के पैराग्राफ 4 में कि जब एक तत्व लोक हित का निर्माण किया जाता है और संस्थान इसे पूरा कर रहा है

वह तत्व, शिक्षक, संस्थान का अंग होने के नाते, है

अनुच्छेद के तहत प्रदान किए गए उपचार का लाभ उठाने का भी हकदार है। 226 .

सुष्मिता बसु और अन्य में यह अदालत। बनाम बालीगंज शिक्षा

समिति और ओआरएस। , (2006) 7 एस. सी. सी. 680 जिसमें हम में से एक (सेमा,

जे.) एक पक्षकार है, उपरोक्त निर्णय पर विचार करने के बाद

यह मानते हुए अनुपात को अलग किया कि अनुच्छेद के तहत रिट

226 एक निजी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ संविधान का

यह तभी उचित होगा जब कोई सार्वजनिक कानून तत्व शामिल हो।

और यदि यह केवल एक निजी कानूनी उपाय है तो कोई रिट याचिका नहीं होगी। झूठ बोलते हैं। वर्तमान मामलों में, सार्वजनिक कानून का कोई सवाल ही नहीं है

अपीलार्थियों की शिकायतों में शामिल तत्व वे व्यक्तिगत प्रकृति के होते हैं। हम, तदनुसार, उस रिट याचिकाओं [2022] 8 एस. सी. आर. को मानते हैं।

निजी संस्थान के खिलाफ विचारणीय नहीं हैं। वहाँ कोई नहीं है

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में दुर्बलता और

डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि की गई। इन अपीलों में कोई दम नहीं है

योग्य हैं और तदनुसार खारिज कर दिए जाते हैं। कोई लागत नहीं।

(जोर दिया गया)

48. हम इस न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं।

विद्या राम मिश्रा बनाम के मामले में। प्रबंध समिति श्री जय नारायण कॉलेज, (1972) 1 एस. सी. सी. 623: ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 1450 उसमें अपीलार्थी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के एक संबद्ध कॉलेज, श्री जय नारायण कॉलेज, लखनऊ की प्रबंध समिति द्वारा पारित एक प्रस्ताव की वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया और प्रस्ताव को रद्द करने के लिए एक उचित रिट या आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया। उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि सेवाओं को समाप्त करने में, प्रबंध समिति ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया, प्रस्ताव को रद्द कर दिया और अनुमति दी

रिट याचिका। प्रबंध समिति ने आदेश के खिलाफ अपील की। उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने पाया कि के बीच संबंध

महाविद्यालय और उसमें अपीलार्थी स्वामी और सेवक का था और यह कि भले ही अपीलार्थी की सेवा प्राकृतिक न्याय के ऑडी अल्टरम पार्टेम नियम के उल्लंघन में समाप्त कर दी गई थी, अपीलार्थी का उपचार हर्जाने के लिए मुकदमा दायर करना था और प्रमाणपत्र की प्रकृति में किसी रिट या आदेश के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आवेदन नहीं करना था और वास्तव में, अपीलार्थी की सेवाओं को समाप्त करके प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया गया था। रिट याचिका खारिज कर दी गई। अपील में, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि व्याख्याता के पास कानून के उल्लंघन पर कार्रवाई का कोई कारण नहीं हो सकता है, लेकिन केवल अनुबंध के उल्लंघन पर, इसलिए उसके पास केवल हर्जाने के लिए मुकदमे के माध्यम से उपचार है न कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट के माध्यम से। विद्या राम मिश्रा (ऊपर) में, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 12. जबकि प्रभाकर रामकृष्ण जोडी बनाम के मामले में।

कॉलेज संहिता के खंड 8 (vi) (a) में सेवा निकायों का समावेश था अनुबंध और प्रदत्त अधिकारों के अलावा कानून की शक्ति

वहाँ अपीलार्थी पर, यहाँ उल्लिखित नियम और शर्तें

कानून 151 में कोई प्रभावकारिता नहीं है, जब तक कि उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। एक अनुबंध में। इसलिए, अपीलार्थी को इसका कारण नहीं मिल सकता है -

कानून के किसी भी उल्लंघन पर कार्रवाई लेकिन केवल एसटी के उल्लंघन पर।

मैरीज एजुकेशन सोसाइटी v. राजेन्द्र प्रसाद भार्गव [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अनुबंध। जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है, क़ानून 151 अनुबंध में शामिल किए जाने वाले शिक्षक को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। इसलिए, अनुबंध के खंड 5 का, किसी भी स्थिति में, वैधानिक स्वाद भी नहीं हो सकता है और इसके उल्लंघन के लिए, अपीलार्थी का उपाय कहीं और निहित है।

13. इसके अलावा, ताकि सामान्य के लिए तीसरा अपवाद

नियम है कि एक को समाप्त करने वाले आदेश को रद्द करने के लिए कोई रिट नहीं होगा

सेवा का अनुबंध, यद्यपि अवैध रूप से, जैसा कि एस. आर. तिवारी बनाम में कहा गया है। जिला बोर्ड, आगरा, (1964) 3 एससीआर 55: ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1680, लागू हो सकता है, यह आवश्यक है कि आदेश एक अनिवार्य दायित्व के उल्लंघन में कार्य करने वाले वैधानिक निकाय का आदेश होना चाहिए।

एक कानून द्वारा अधिरोपित। कॉलेज, या विचाराधीन प्रबंध समिति, एक वैधानिक निकाय नहीं है और इसलिए श्री सीतलवाड़ का यह तर्क कि मामला तीसरे अपवाद के तहत आएगा, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता का यह तर्क कि इस न्यायालय ने एक शिक्षक की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट जारी करने की मंजूरी दी है

प्रभाकर में इसी तरह स्थित एक कॉलेज से उत्तीर्ण

रामकृष्ण जोध (ऊपर), और इसलिए, यह तथ्य कि कॉलेज या प्रबंध समिति एक सांविधिक निकाय नहीं था, अपीलार्थी द्वारा अनुरोधित रिट जारी करने में उच्च न्यायालय के लिए कोई बाधा नहीं थी क्योंकि इस न्यायालय ने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा था कि उच्च न्यायालय में ऐसा कोई विवाद नहीं उठाया गया था और इसलिए इसे इस मामले में उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अदालत "।

49. हाथ के मामले में, तथ्य समान हैं। सी. बी. एस. ई. द्वारा बनाए गए संबद्धता उपनियमों के नियम 26 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक स्कूल

बोर्ड से संबद्ध सेवा नियम बनाएगा। इसके उप-नियम (2) में प्रावधान है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी के साथ एक सेवा अनुबंध किया जाएगा। या जैसा कि परिशिष्ट III में दिया गया है, यदि राज्य शिक्षा अधिनियम के अनुसार अनिवार्य नहीं है। ये

नियम नियुक्तियों, परिवीक्षा, पुष्टि, भर्ती, उपस्थिति प्रतिनिधित्व, छुट्टी प्रदान करने, आचार संहिता, अनुशासनात्मक प्रक्रिया, दंड आदि के लिए प्रक्रियाएं भी प्रदान करते हैं। अनुबंध का मॉडल रूप

सेवा, जिसे एक कर्मचारी द्वारा निष्पादित किया जाना है, परिशिष्ट III में दिया गया है, यह बताता है कि इस समझौते के तहत सेवा अनुशासनात्मक होगी।

समय-समय पर विद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार कार्रवाई। केवल उस स्थिति में जहां पद समाप्त कर दिया गया है या एक कर्मचारी [2022] 8 एस. सी. आर.

50. इन प्रावधानों को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि संबद्धता उपनियमों में उल्लिखित नियम और शर्तें - विद्यालय और उसके बीच किए जाने वाले अनुबंध में शामिल

संबंधित कर्मचारी। यह नहीं कहता है कि नियमों और शर्तों का कोई कानूनी बल है, जब तक कि वे किसी समझौते में शामिल नहीं हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो संबद्धता उपनियमों के अध्याय VII में उल्लिखित सेवा के नियमों और शर्तों का कोई कानूनी बल नहीं है। वे अनुबंध में शामिल होने के कारण ही सेवा के नियम और शर्तें बन जाते हैं। अनुबंध के बिना उनके पास कोई जीवन शक्ति नहीं है और वे कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते हैं। संबद्ध उपनियमों में उल्लिखित नियमों और शर्तों की कोई प्रभावकारिता नहीं है, जब तक कि उन्हें किसी अनुबंध में शामिल नहीं किया जाता है। विद्यालय के कर्मचारियों की सेवाओं को नियंत्रित करने वाले किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में, प्रत्यर्थी की सेवा सं। 1 विशुद्ध रूप से संविदात्मक था। व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध को विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए, प्रत्यर्थी नं। 1 कानून के किसी भी उल्लंघन पर कार्रवाई का कारण नहीं मिल सकता है, लेकिन केवल अनुबंध के उल्लंघन पर। ऐसा होने पर, अपीलार्थी का उपाय कहीं और निहित है और किसी भी मामले में रिट बनाए रखने योग्य नहीं है।

51. इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश यह बहुत स्पष्ट करता है कि सेवानिवृत्ति के मामले में और समाप्ति के मामले में, कोई सार्वजनिक नहीं है।

कानून तत्व शामिल है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी निजी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट केवल तभी बनाए रखा जा सकता है जब कोई सार्वजनिक कानून तत्व शामिल हो और यदि कोई सार्वजनिक कानून तत्व शामिल नहीं है, तो कोई रिट नहीं है।

52. टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, (2002) 8

एस. सी. सी. 481, इस न्यायालय की ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी बनाम के मामले में अपने पहले के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए वास्तव में कुछ बिंदु तैयार किए। गुजरात राज्य, (1974) 1 एस. सी. सी. 717, और उन्नीकृष्णन पी. जे. बनाम का मामला। ए. पी. राज्य, (1993) 4 एस. सी. सी. 111 में "छात्र के प्रशासन और शिक्षा प्रदान करने सहित अल्पसंख्यक संस्थान के अधिकार के संबंध में मैरी की शिक्षा समाज v.

राजेन्द्र प्रसाद भार्गव [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

गैर-अल्पसंख्यक छात्र का मंत्रालय "। उक्त मामले में, बहुत

इस प्रकार के बिंदु सामने आए:

" 5. (ग) क्या वैधानिक प्रावधान जो विनियमित करते हैं

शिक्षा पर नियंत्रण जैसे प्रशासन के पहलू

अभिकरण, शासी निकायों पर नियंत्रण, की शर्तें

मान्यता/वापसी सहित संबद्धता, और

कर्मचारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों और प्राचार्यों की नियुक्ति जिसमें उनकी सेवा की शर्तें और शुल्क का विनियमन आदि शामिल हैं।

क्या यह अल्पसंख्यकों के प्रशासन के अधिकार में हस्तक्षेप करेगा?

A. जहाँ तक प्रशासन के पहलुओं को विनियमित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का संबंध है, एक गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के मामले में, नियंत्रण के नियामक उपाय

न्यूनतम होना चाहिए और मान्यता की शर्तें भी

किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड से संबद्धता की शर्तों के रूप में

अनुपालन किया जाए, लेकिन दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के मामले में, जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति, शिक्षण और गैर-शिक्षण और उन पर प्रशासनिक नियंत्रण, प्रबंधन को स्वतंत्रता होनी चाहिए और कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होना चाहिए

शिक्षण कर्मचारियों और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वयं प्रबंधन द्वारा विकसित किया गया। निवारण के लिए

ऐसे कर्मचारियों की शिकायतें जो दंड के अधीन हैं

या सेवा से समाप्ति, एक तंत्र होना होगा

विकसित और हमारी राय में, उपयुक्त न्यायाधिकरण हो सकते हैं

गठित, और तब तक, ऐसे न्यायाधिकरण की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश के पद के न्यायिक अधिकारी द्वारा की जा सकती थी। राज्य ने

हालाँकि, या अन्य नियंत्रण प्राधिकरण हमेशा निर्धारित कर सकते हैं

न्यूनतम योग्यता, वेतन, अनुभव और अन्य

होने के लिए एक व्यक्ति की योग्यता पर असर डालने वाली शर्तें

किसी शैक्षणिक संस्थान के शिक्षक के रूप में नियुक्त।

सेवा शर्तों के लिए विनियम बनाए जा सकते हैं शिक्षण और अन्य कर्मचारी जिनके लिए राज्य द्वारा समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तक्षेप किए बिना सहायता प्रदान की जाती है

कर्मचारियों पर प्रबंधन, सरकार/विश्वविद्यालय

प्रतिनिधि चयन समिति से जुड़ा जा सकता है।

और चयन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए जा सकते हैं। गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में ऐसे विनियम, जो अनुचित प्रथाओं और सामान्य प्रथाओं पर रोक सुनिश्चित करेंगे। शिक्षकों के कल्याण की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। "[2022] 8 एस. सी. आर.

53. अब हम रमेश अहलूवालिया (ऊपर) और मारवाड़ी बालिका के मामलों में इस अदालत के दो फैसलों पर गौर करने के लिए आगे बढ़े।

विद्यालय (ऊपर) जवाब दें।

54. रमेश अहलूवालिया (ऊपर) में, उसमें अपीलार्थी था -

एक निजी रूप से संचालित शैक्षणिक संस्थान में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करते हुए और अनुशासनात्मक कार्यवाही के माध्यम से, उक्त शैक्षणिक संस्थान की प्रबंधन समिति द्वारा सेवा से हटा दिया गया था। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें अनुशासनात्मक प्राधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उन्हें सेवा से हटा दिया गया था। रिट याचिका को सीमित रूप से खारिज करने का आदेश दिया गया था जिसमें कहा गया था कि उक्त शैक्षणिक संस्थान एक गैर-सहायता प्राप्त और समाज द्वारा प्रबंधित एक निजी स्कूल होने के कारण इसे राज्य का एक साधन नहीं कहा जा सकता है। डिवीजन बेंच के समक्ष अपील भी खारिज कर दी गई। मामला इस अदालत तक गया। इस न्यायालय के समक्ष मुख्य तर्क एक निजी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ रिट याचिका की स्थिरता के संबंध में था। अपीलार्थी की ओर से इसमें यह तर्क दिया गया था कि हालांकि एक निजी शैक्षणिक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की "राज्य" या "अन्य प्राधिकरणों/उपकरणों" की परिभाषा के भीतर नहीं आ सकता है, फिर भी एक रिट याचिका बनाए रखने योग्य होगी क्योंकि उक्त शैक्षणिक संस्थान को कहा जा सकता है

शिक्षा प्रदान करके सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करना। हालांकि, विद्वान

उसमें शैक्षणिक संस्थान के वकील ने इस न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की कि इस बात पर विचार करते हुए कि क्या "राज्य" की परिभाषा के साथ आने वाला कोई निकाय है, इस पर विचार करना आवश्यक है कि क्या ऐसा निकाय वित्तीय, कार्यात्मक और प्रशासनिक रूप से सरकार के प्रभुत्व में है या उसके नियंत्रण में है। यह आगे तर्क दिया गया था कि यदि नियंत्रण केवल है

किसी कानून के तहत या अन्यथा विनियामक, यह वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 12 के भीतर निकाय को "राज्य" नहीं बनाएगा। मामले के विशिष्ट तथ्यों और प्रस्तुतियों के संदर्भ में

उन्नत, इस न्यायालय ने माना कि एक रिट याचिका बनाए रखने योग्य होगी यदि कोई निजी शैक्षणिक संस्थान सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करता है, अधिक विशेष रूप से शिक्षा प्रदान करना। ऐसा ठहराकर भी, इस न्यायालय ने शिक्षक को कोई भी लाभ देने से इनकार कर दिया क्योंकि मामले में तथ्य के विवादित प्रश्न शामिल थे।

55. हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि रमेश अहलूवालिया (उपरोक्त) में माननीय न्यायाधीशों का ध्यान पहले के निर्णयों की ओर नहीं खींचा गया था

के. कृष्णमाचार्युलु (ऊपर), फेडरल बैंक (ऊपर), सुष्मिता बसु बनाम। बालीगंज शिक्षा समिति, (2006) 7 एस. सी. सी. 680, और एस. टी.

प्रबंधन समिति, दिल्ली पब्लिक स्कूल बनाम। एम. के. गांधी (ऊपर)।

56. मारवाड़ी बालिका विद्यालय (ऊपर) में, इस न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित रमेश अहलूवालिया (ऊपर) का अनुसरण किया।

57. हम बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकते हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 यहाँ मारवाड़ी बालिका विद्यालय (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित उक्ति को लागू करने के लिए दबाव नहीं डाल सकता है क्योंकि उक्त मामला अलग है। मारवाड़ी बालिका विद्यालय (उपरोक्त) के मामले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उक्त मामले में शिक्षक को सेवा से हटाना राज्य सरकार की मंजूरी के अधीन था। राज्य सरकार ने इस न्यायालय के समक्ष एक विशिष्ट रुख अपनाया कि शिक्षक की नियुक्ति के साथ-साथ उन्हें हटाने के लिए भी इसकी मंजूरी की आवश्यकता है। हाथ के मामले में, निर्विवाद रूप से सरकार या सरकार की किसी अन्य एजेंसी की इसमें कोई भूमिका नहीं है

इसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 की समाप्ति।

58. मारवाड़ी बालिका विद्यालय (ऊपर) के संदर्भ में, हम

स्वयं को उपनियम 49 (2) की याद दिलाएँ जो यह प्रावधान करता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा अनुशासनात्मक अनुमोदन की प्राप्ति के बाद के अलावा बड़ा जुर्माना लगाने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा

समिति। इस प्रकार मारवाड़ी बालिका विद्यालय (उपरोक्त) के विपरीत जहाँ राज्य सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता थी, हाथ पर मामले में

59. मारवाड़ी बालिका विद्यालय (ऊपर) में, स्कूल को महँगाई भत्ते की सीमा तक अनुदान-सहायता प्राप्त हो रही थी। द. नियुक्ति और निष्कासन, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, को स्कूल के जिला निरीक्षक (प्राथमिक शिक्षा) द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है और यदि इस तरह के अनिवार्य प्रावधानों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, तो यह निजी तत्व के दायरे में नहीं आएगा।

60. त्रिगुण चंद ठाकुर (उपरोक्त) में, उसमें अपीलार्थी को संस्कृत शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और एक कारणदर्शक नोटिस जारी किया गया था।

उन पर इस आधार पर कि वे स्वतंत्रता दिवस और शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर अनुपस्थित थे, जिसके परिणामस्वरूप निजी विद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा बर्खास्तगी आदेश पारित किया गया था। चुनौती उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके दी गई थी जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि रिट याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है [2022] 8 एस. सी. आर.

निजी विद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा सेवा समाप्त करने के आदेश के विरुद्ध। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भले ही निजी विद्यालय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा हो, लेकिन यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर विद्यालय की उक्त प्रबंधन समिति को "राज्य" नहीं बनाता है।

61. केवल इसलिए कि सार्वजनिक कर्तव्यों और/या सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करने वाले निजी व्यक्तियों के खिलाफ एक रिट याचिका रखी जा सकती है, यदि प्रवर्तन को किसी निजी कानून के दायरे में सुरक्षित करने की मांग की जाती है, तो उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यह कहना सुरक्षित नहीं होगा कि जिस क्षण निजी संस्थान रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होगा, तब उक्त निजी संस्थान से संबंधित प्रत्येक विवाद रिट के लिए उत्तरदायी होगा।

अधिकार क्षेत्र। यह काफी हद तक विवाद की प्रकृति और ऐसी संस्था के खिलाफ किसी व्यक्ति द्वारा अधिकार के प्रवर्तन पर निर्भर करता है। जो अधिकार विशुद्ध रूप से एक निजी कानून से उत्पन्न होता है, उसे रिट अधिकार क्षेत्र की सहायता से लागू नहीं किया जा सकता है, भले ही ऐसी संस्था सार्वजनिक कर्तव्यों और/या सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन कर रही हो। परमादेश का दायरा मूल रूप से सार्वजनिक कर्तव्य के प्रवर्तन तक सीमित है और इसलिए, यह पता लगाना न्यायालय का एक प्रबल कर्तव्य है कि क्या कर्तव्य की प्रकृति सार्वजनिक कर्तव्य के परिधीय दायरे में आती है। किसी भी कार्रवाई में एक सार्वजनिक कानून तत्व होना चाहिए।

62. यदि हम रामकृष्णन मिशन के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करने में विफल रहते हैं तो हमारा वर्तमान निर्णय अधूरा रहेगा। वी. कागो कुन्या (2019) 16 एस. सी. सी. 303। उक्त मामले में यह न्यायालय

इस मुद्दे पर उसके पहले के सभी निर्णयों पर विचार किया। रिट याचिका को मिशन के खिलाफ केवल इस कारण से विचारणीय नहीं पाया गया कि यह एक अस्पताल चलाता है, इस प्रकार सार्वजनिक कार्यों/सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक कार्य के तत्व के संदर्भ में विचार किया जो राज्य द्वारा अपनी संप्रभु क्षमता में किए गए कार्य के समान होना चाहिए। इस न्यायालय का विचार था कि प्रत्येक सार्वजनिक कार्य/सार्वजनिक कर्तव्य अनुच्छेद 226 के तहत निर्दिष्ट "प्राधिकरण" या "व्यक्ति" के खिलाफ रिट याचिका को बनाए रखने योग्य नहीं बनाएगा। भारत का संविधान जब तक कि कार्य ऐसे न हों जो राज्य के कार्यों के समान हों या संप्रभु प्रकृति के हों। उक्त निर्णय के कुछ प्रासंगिक पैराग्राफ तैयार संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किए गए हैं:

" 17. इस न्यायालय के समक्ष मूल मुद्दा यह है कि क्या अस्पताल द्वारा किए जाने वाले कार्य सार्वजनिक कार्य हैं, जिसके आधार पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अनिवार्य आदेश दिया जा सकता है।

18. अस्पताल रामकृष्ण मिशन की एक शाखा है और इसके नियंत्रण में है। इस मिशन की स्थापना श्री रामकृष्ण के अग्रणी शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी।

परमहंस। मानवता की सेवा उस संगठन के लिए है जो ईश्वर की सेवा के बराबर है जैसा कि आदर्श वाक्य "आत्मानो मोक्षार्थम जगद हिताया चा" में परिलक्षित होता है। का मुख्य उद्देश्य

रामकृष्ण मिशन ज्ञान प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए है।

श्री द्वारा प्रस्तुत वेदांत और उसके सिद्धांतों का अध्ययन। रामकृष्ण परमहंस और व्यावहारिक रूप से अपने स्वयं के जीवन और तुलनात्मक धर्मशास्त्र के व्यापक रूप से चित्रित। इसके उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, पुस्तकालयों, अस्पतालों की स्थापना, रखरखाव, संचालन और सहायता करना और विकास और सामान्य कार्य करना शामिल है। बिना किसी भेदभाव के समाज के वंचित/पिछड़े/आदिवासी लोगों के लाभ के लिए कल्याणकारी गतिविधियाँ। ये गतिविधियाँ स्वैच्छिक, धर्मार्थ और गैर-लाभकारी हैं।

प्रकृति में बनाना। मिशन, एक गैर-लाभकारी संस्था द्वारा की गई गतिविधियाँ राज्य द्वारा अपनी संप्रभु क्षमता में किए गए कार्यों से निकटता से संबंधित नहीं हैं और न ही वे सार्वजनिक कर्तव्य की प्रकृति में भाग लेते हैं।

19. मिशन के शासी निकाय का गठन रामकृष्ण मठ के न्यासी मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है और इसमें मिशन के प्रबंधन की शक्ति और अधिकार निहित हैं। संगठन। मिशन की संपत्तियाँ और निधियाँ और इसकी

शासी निकाय में प्रबंधन निहित। शासी निकाय द्वारा चुने जाने पर कोई भी व्यक्ति मिशन का सदस्य बन सकता है।

शरीर। रोल पर सदस्य वार्षिक आम बैठकों का कोरम बनाते हैं। प्रबंधन समिति में मिशन के मामलों के प्रबंधन के लिए शासी निकाय द्वारा नियुक्त सदस्य शामिल होते हैं। संगठन के ज्ञापन और मिशन के नियमों और विनियमों के तहत, कामकाज, प्रशासन और दिन-प्रतिदिन में कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है

मिशन का प्रबंधन। अस्पताल के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें सेवा नियमों द्वारा शासित होती हैं जो

किसी भी सरकारी निकाय के हस्तक्षेप के बिना मिशन द्वारा तैयार किए जाते हैं।

20. इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कि अपीलार्थी अनुच्छेद 226, उच्च [2022] 8 एस. सी. आर. के तहत एक प्राधिकरण के विवरण के अंतर्गत आते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय ने इस पर काफी हद तक निर्भरता रखी

एंडी मुक्ता में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय

[आंडी मुक्त सद्गुरु श्री मुक्ताजी वंदस स्वामी सुवर्ण जयंती महोत्सव स्मारक न्यास बनाम। वी. आर. रुदानी, (1989) 2 एस. सी. सी. 691]। एंडी मुक्त [एंडी मुक्त सद्गुरु श्री मुक्ताजी

वंदास स्वामी सुवर्ण जयंती महोत्सव स्मारक न्यास बनाम। वी. आर. रुदानी, (1989) 2 एस. सी. सी. 691] एक ऐसा मामला था जिसमें एक सार्वजनिक न्यास एक कॉलेज चला रहा था जो गुजरात से संबद्ध था।

विश्वविद्यालय, राज्य विधान द्वारा शासित एक निकाय। जहाँ तक उनके वेतनमान का संबंध है, विश्वविद्यालय और उसके सभी संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों द्वारा शासित किया जाता था। विश्वविद्यालय के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ द्वारा उठाए गए वेतनमान पर विवाद का विषय था -

कुलाधिपति का एक पुरस्कार, जिसे द्वारा स्वीकार किया गया था

सरकार के साथ-साथ विश्वविद्यालय भी। कॉलेज के प्रबंधन ने बिना पूर्व मंजूरी के इसे बंद करने का फैसला किया। शासी प्रावधानों के अनुसार शिक्षकों के वेतन और अंतिम लाभ प्राप्त करने के अधिकार को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या कॉलेज का प्रबंधन था

रिट अधिकारिता के लिए उत्तरदायी। इस न्यायालय के अंतिम निर्णय में कई परिस्थितियों को शामिल किया गया, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

20.5 . सभी सहायता प्राप्त संस्थान संबद्ध विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों द्वारा शासित होते हैं। 20.6 . उनकी गतिविधियों की बारीकी से निगरानी की जाती है

विश्वविद्यालय।

मैरीज एजुकेशन सोसाइटी v. राजेन्द्र प्रसाद भार्गव [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

20.7 . अतः ऐसे संस्थानों में रोजगार सार्वजनिक चरित्र से रहित नहीं है और यह विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णयों द्वारा शासित होता है जो इस पर बाध्यकारी होते हैं - प्रबंधन।

21. यह उपरोक्त परिस्थितियों में था कि यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शिक्षाविदों की सेवा की शर्तें कर्मचारी एक निजी चरित्र में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन कर्मचारियों और कर्मचारियों के बीच एक अधिकार-कर्तव्य संबंध द्वारा शासित होते हैं।

प्रबंधन। कर्तव्य का उल्लंघन, यह माना गया था, होगा मैंडमस के एक रिट के उपचार के लिए उत्तरदायी। जबकि न्यायालय ने माना कि "लोगों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले निकायों की तेजी से बढ़ती भूलभुलैया को जलरोधक डिब्बों में नहीं रखा जा सकता है", इसने दो अपवाद निर्धारित किए जहां मैंडमस का उपचार उपलब्ध नहीं होगाः (एस. सी. सी पी. 698, पैरा 15)

" 15. यदि अधिकार विशुद्ध रूप से एक निजी चरित्र के हैं तो कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकता है। यदि कॉलेज का प्रबंधन विशुद्ध रूप से एक निजी निकाय है, जिसमें कोई सार्वजनिक कर्तव्य नहीं है, तो यह झूठ नहीं बोलेगा। ये मैंडमस के दो अपवाद हैं।

22. एंडी मुक्त [एंडी मुक्त सद्गुरु श्री मुक्ताजी वंदास स्वामी सुवर्ण जयंती महोत्सव स्मारक ट्रस्ट बनाम। वी. आर. रुदानी, (1989) 2 एस. सी. सी. 691], इस न्यायालय को अंतर्निहित मामले पर फिर से विचार करने का अवसर मिला है।

क्रमिक निर्णयों में सिद्धांत। इसने यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों के विकास को प्रेरित किया है कि "सार्वजनिक कर्तव्य" और "सार्वजनिक कार्य" का गठन क्या है और क्या मैंडमस का रिट उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध होगा जो अपने अधिकार को लागू करना चाहता है।

25. रमेश अहलूवालिया बनाम में भी ऐसा ही दृष्टिकोण लिया गया था। पंजाब राज्य [रमेश अहलूवालिया बनाम। पंजाब राज्य (2012) 12 एस. सी. सी. 331: (2013) 3 एससीसी (एल एंड एस) 456: 4 एस. सी. ई. सी. 715], जहाँ इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि एक निजी निकाय हो सकता है

आम तौर पर राज्य या उसके अधिकारियों द्वारा किए जाने की उम्मीद की जाती है। 26. फेडरल बैंक लिमिटेड बनाम। सागर थॉमस [फेडरल बैंक लिमिटेड बनाम। सागर थॉमस, (2003) 10 एस. सी. सी. 733], यह न्यायालय [2022] 8 एस. सी. आर.

संस्थाओं का वर्गीकरण जिनके खिलाफ एक रिट याचिका हो सकती है रखरखाव योग्यः (एस. सी. सी पी. 748, पैरा 18)

" 18. ऊपर उल्लिखित निर्णयों से जो स्थिति सामने आती है वह यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका (i) राज्य (सरकार); (ii) एक प्राधिकरण; (iii) एक वैधानिक निकाय; (iv) राज्य की एक साधन या एजेंसी; (v) एक कंपनी जो राज्य द्वारा वित्तपोषित और स्वामित्व में है; (vi) एक निजी कंपनी के खिलाफ बनाए रखने योग्य हो सकती है। निकाय काफी हद तक राज्य के वित्त पोषण पर चलता है; (vii) सार्वजनिक कर्तव्य या जनता के सकारात्मक दायित्व का निर्वहन करने वाला एक निजी निकाय।

प्रकृति; और (viii) किसी कानून के तहत किसी भी कार्य का निर्वहन करने के लिए दायित्व के तहत एक व्यक्ति या एक निकाय, इसे मजबूर करने के लिए

इस तरह के एक वैधानिक कार्य का पालन करें।

63. रामकृष्णन मिशन क) में इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय पर उत्तम चंद रावत बनाम के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा व्यापक रूप से विचार किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य, (2021) 6 ऑल एल. जे. 393 (एफ. बी.), जिसमें पूर्ण पीठ को बुलाया गया था

निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिएः

" (i) क्या सार्वजनिक कार्य और सार्वजनिक कर्तव्य का तत्व

उद्यम में निहित है कि एक शैक्षणिक संस्थान

शिक्षकों की सेवा की शर्तों को लागू करता है, जिनके कार्य

उस सार्वजनिक कार्य के निर्वहन के लिए अनिवार्य हैं या

कर्तव्य, के निजी कानून द्वारा शासित माना जा सकता है अनुबंध और अनुच्छेद 226 के तहत कोई उपाय उपलब्ध नहीं है

संविधान?

64. पूर्ण पीठ उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए आगे बढ़ी

देरः

" 16. उपरोक्त चर्चा का सार यह है कि

रिट याचिका प्राधिकरण के खिलाफ बनाए रखने योग्य होगी या

व्यक्ति जो एक निजी निकाय हो सकता है, यदि वह सार्वजनिक रूप से कार्य करता है

कार्य/सार्वजनिक कर्तव्य, जो अन्यथा प्राथमिक कार्य है

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में निर्दिष्ट राज्य

रामकृष्णन मिशन (ऊपर) का मामला और इसके तहत मुद्दा

सार्वजनिक कानून शामिल है। उपरोक्त दोहरा परीक्षण होना चाहिए

के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर विचार करने के लिए संतुष्ट भारत का संविधान।

मैरीज एजुकेशन सोसाइटी v. राजेन्द्र प्रसाद भार्गव [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

17. उपरोक्त चर्चा से और इसके आलोक में

ऊपर निर्दिष्ट निर्णय, अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका

संविधान के विरुद्ध बनाए रखा जा सकता है (i)

सरकार; (ii) एक प्राधिकरण; (iii) एक वैधानिक निकाय; (iv) एक प्राधिकरण।

राज्य का साधन या अभिकरण; (v) ऐसी कंपनी जो राज्य द्वारा वित्तपोषित और स्वामित्व में है; (vi) एक निजी निकाय संचालित है।

काफी हद तक राज्य के वित्त पोषण पर; (vii) एक निजी निकाय

सार्वजनिक कर्तव्य या सार्वजनिक प्रकृति के सकारात्मक दायित्व का निर्वहन;

और (viii) कोई व्यक्ति या निकाय जो किसी भी कार्य के निर्वहन के लिए उत्तरदायी है।

किसी कानून के तहत कार्य, इसे ऐसा करने के लिए मजबूर करने के लिए

वैधानिक कार्य।

18. "सार्वजनिक कार्यों" और "निजी कार्यों" के बीच एक छोटी सी रेखा है।

किसी व्यक्ति या किसी निजी निकाय/प्राधिकरण द्वारा निष्पादित कार्य।

निर्धारित करने के बाद ही रिट याचिका बनाए रखी जा सकेगी।

निकाय या प्राधिकरण द्वारा लागू किए जाने वाले कर्तव्य की प्रकृति

बजाय उस प्राधिकारी की पहचान करने के जिसके खिलाफ इसकी मांग की गई है। 19. यह भी है कि भले ही कोई व्यक्ति या प्राधिकरण निर्वहन कर रहा हो

सार्वजनिक कार्य या सार्वजनिक कर्तव्य, रिट याचिका होगी

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बनाए रखने योग्य, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि चुनौती के तहत कार्रवाई के क्षेत्र में आती है

सार्वजनिक कानून, जैसा कि निजी कानून से अलग है। दोहरे परीक्षण

रिट की रखरखाव के लिए निम्नानुसार हैं:

1. व्यक्ति या प्राधिकरण सार्वजनिक कर्तव्य/सार्वजनिक कार्य कर रहा है।

कार्य।

2. चुनौती के तहत उनकी कार्रवाई जनता के अधिकार क्षेत्र में आती है

कानून और सामान्य कानून के तहत नहीं।

प्राधिकारी या कोई व्यक्ति केवल इस कारण से कि वह कानून के तहत बनाया गया है या नियामक द्वारा शासित है

प्रावधान। यह उस मामले में भी नहीं होगा जहां सहायता प्राप्त होती है।

जब तक कि यह प्रकृति में पर्याप्त न हो। राज्य का नियंत्रण है

एक रिट याचिका रखने के लिए एक और मुद्दा जिसके खिलाफ बनाए रखा जा सकता है

एक प्राधिकारी या एक व्यक्ति।

(जोर दिया गया)

65. हमारा कर्तव्य है कि हम मामले के एक प्रासंगिक पहलू पर विचार करें।

जिस पहलू पर हम ध्यान देना चाहते हैं, वह (2022) 8 एस. सी. आर. नहीं है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उजागर किया गया, फिर भी हमें उसी पर ध्यान देना चाहिए। हमने अपने फैसले के पहले भाग में सी. बी. एस. ई. संबद्धता उपनियमों का उल्लेख किया है। संबद्धता उपनियमों का परिशिष्ट-IV अल्पसंख्यक संस्थानों के संबंध में है। परिशिष्ट-IV का खंड 6 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान में कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण के संबंध में है।

हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि खंड 6 में राज्य के पास अपने कर्मचारियों के हितों और उनकी सेवा की रक्षा करने की नियामक शक्ति है

अधिरोपित दंड प्रक्रिया सहित शर्तें। सुविधा के लिए और पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम खंड 6 को एक बार फिर नीचे उद्धृत करते हैं:

" 6. अल्पसंख्यक शिक्षा में कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण

संस्थानः जबकि प्रबंधन को अभ्यास करना चाहिए

कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे

जाँच करें और सजा देने से पहले एक निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन करें

दिया जाता है। सत्ता के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन द्वारा,

राज्य के पास हितों की रक्षा करने की नियामक शक्ति है।

उनके कर्मचारियों और उनकी सेवा शर्तों सहित

अधिरोपित दंडक प्रक्रिया।

(जोर दिया गया)

66. यह तर्क दिया जा सकता है कि राज्य के पास नियामक शक्ति है

अल्पसंख्यक संस्थानों में सेवारत कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए, ऐसी संस्था द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई या निर्णय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है।

67. उपरोक्त संदर्भ में, हम केवल यह कह सकते हैं कि केवल इसलिए कि

उस पर कोई भी ऐसा दायित्व जो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट जारी करने के माध्यम से लागू किया जा सके। इस संबंध में हम फेडरल बैंक के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं। (ऊपर)। यह तय करते हुए कि क्या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा विनियमित एक निजी बैंक किसी भी सार्वजनिक कार्य का निर्वहन करता है, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" 33. ..... हमारे विचार में, बैंकिंग का संचालन करने वाली एक निजी कंपनी

एक अनुसूचित बैंक के रूप में व्यवसाय, के रूप में नहीं कहा जा सकता है

किसी भी वैधानिक या सार्वजनिक कार्य को करने वाली संस्था या कंपनी कर्तव्य। एक निजी निकाय या एक व्यक्ति मैरी की शिक्षा सोसायटी V लिखने के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

राजेन्द्र प्रसाद भार्गव [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

क्षेत्राधिकार केवल वहाँ है जहाँ ऐसे निकाय या संघ को किसी भी वैधानिक दायित्वों को लागू करने के लिए मजबूर करना आवश्यक हो सकता है

या सार्वजनिक प्रकृति के ऐसे दायित्व सकारात्मक भूमिका निभाते हैं उस पर दायित्व। हम नहीं पाते हैं कि इस तरह की शर्तों को एक निजी कंपनी के संबंध में पूरा किया जाता है जो एक वाणिज्यिक कार्य करती है।

बैंकिंग की गतिविधि। सुनिश्चित करने के लिए केवल विनियामक प्रावधान

निजी निकायों द्वारा की जाने वाली ऐसी गतिविधि एक अनुशासन के भीतर काम करती है, कंपनी को ऐसा कोई दर्जा नहीं देती है और न ही उस पर ऐसा कोई दायित्व डालती है जिसे लागू किया जा सके।

बैंक की ओर से किसी भी वैधानिक कर्तव्य को लागू करने का प्रयास नहीं कर रहा है। 34. इस प्रकार, विशुद्ध रूप से निजी प्रकृति के अनुबंध केवल इस तथ्य के कारण रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं होंगे कि वे वैधानिक प्रावधानों द्वारा संरचित हैं। इस सिद्धांत का एकमात्र अपवाद ऐसी स्थिति में उत्पन्न होता है जहां सेवा का अनुबंध एक वैधानिक प्रावधान द्वारा शासित या विनियमित होता है।

इसलिए, उदाहरण के लिए, के. के. सक्सेना [के. के. सक्सेना बनाम। सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (2015)

4 एससीसी 670: (2015) 2 एस. सी. सी. (सिविल) 654: (2015) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 119] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब कोई कर्मचारी कर्मचारी होता है

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 द्वारा शासित, यह सामान्य सिद्धांत के लिए एक अपवाद है कि

व्यक्तिगत सेवा विशेष रूप से लागू या निष्पादित होने में सक्षम नहीं है।

35. यह ध्यान देने योग्य है कि इस अधिनियम को नैदानिक प्रतिष्ठानों के विनियमन और पंजीकरण के लिए लागू किया गया था

सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानक निर्धारित करने की दृष्टि से। अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, पंजीकरण के लिए नैदानिक प्रतिष्ठानों द्वारा संतुष्ट की जाने वाली शर्तों को निर्धारित करता है। हालांकि, अधिनियम द्वारा किए गए सेवा अनुबंधों को नियंत्रित नहीं करता है अपने कर्मचारियों के संबंध में अस्पताल। ये इसके अंतर्गत आते हैं

विशुद्ध रूप से निजी अनुबंधों का दायरा, जिसके खिलाफ रिट [2022] 8 एस. सी. आर.

अधिकार क्षेत्र झूठ नहीं बोल सकता है। इस भेद की पवित्रता अवश्य होनी चाहिए

सुरक्षित रहें "।

(जोर दिया गया)

68. हम अपने अंतिम निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार दे सकते हैं:

(क) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक आवेदन है -

सार्वजनिक कर्तव्यों या सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति या निकाय के खिलाफ रखरखाव योग्य। सार्वजनिक कर्तव्य या तो वैधानिक या अन्यथा हो सकता है और जहां यह अन्यथा है, निकाय या व्यक्ति को सार्वजनिक कानून तत्व से जुड़े जनता के प्रति उस कर्तव्य या दायित्व का ऋणी दिखाया जाना चाहिए। इसी तरह, सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन का निर्धारण करने के लिए, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि निकाय या व्यक्ति जनता या उसके एक वर्ग के सामूहिक लाभ के लिए इसे प्राप्त करना चाहता था और ऐसा करने के लिए प्राधिकरण को जनता द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए।

(ख) भले ही यह माना जाए कि कोई शैक्षणिक संस्थान शिक्षा प्रदान कर रहा है।

जिस अधिनियम की शिकायत की गई है, उसका सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन के साथ सीधा संबंध होना चाहिए। यह निर्विवाद रूप से एक सार्वजनिक कानूनी कार्रवाई है जो पीड़ितों को अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार रिट के लिए असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र को लागू करने का अधिकार प्रदान करती है। व्यक्तिगत गलतियों या आपसी अनुबंधों के उल्लंघन को बिना किसी सार्वजनिक तत्व के इसके अभिन्न अंग के रूप में अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता है। जहाँ भी न्यायालयों ने अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप किया है, या तो सेवा की शर्तों को वैधानिक प्रावधानों द्वारा विनियमित किया गया था या नियोक्ता को राज्य का दर्जा प्राप्त था।

अनुच्छेद 12 के तहत विस्तृत परिभाषा या यह पाया गया कि शिकायत की गई कार्रवाई में सार्वजनिक कानून का तत्व है।

(ग) फलस्वरूप यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि जबकि एक निकाय हो सकता है

सार्वजनिक कार्य का निर्वहन करना या सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करना और इस प्रकार इसके कार्य संवैधानिक न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी होने पर, इसके कर्मचारियों को सेवा से संबंधित मामले के संबंध में अनुच्छेद 226 द्वारा प्रदत्त उच्च न्यायालय की शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा, जहां वे वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित या नियंत्रित नहीं हैं। एक शैक्षणिक संस्थान सार्वजनिक जीवन और सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को छूते हुए असंख्य कार्य कर सकता है। जबकि ऐसे कार्य जो "सार्वजनिक कार्य" या "सार्वजनिक कर्तव्य" के दायरे में आते हैं, निर्विवाद रूप से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती और जांच के लिए खुले हैं।

संविधान, सेवा के एक सामान्य अनुबंध की सीमा के भीतर पूरी तरह से की गई कार्रवाई या निर्णय, जिसका कोई वैधानिक बल या समर्थन नहीं है, एसटी।

मैरीज एजुकेशन सोसाइटी v. राजेन्द्र प्रसाद भार्गव [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती के लिए उत्तरदायी होने के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। सेवा शर्तों के वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित या शासित होने के अभाव में, मामला दायरे में रहेगा।

सेवा का एक सामान्य अनुबंध।

(घ) भले ही यह माना जाए कि निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय द्वारा शिक्षा प्रदान करना शब्द की विस्तारित अभिव्यक्ति के भीतर एक सार्वजनिक कर्तव्य है, स्कूल द्वारा अपने प्रशासन या आंतरिक प्रबंधन के उद्देश्य से नियुक्त एक गैर-शिक्षण कर्मचारी का कर्मचारी केवल उसके द्वारा बनाई गई एक एजेंसी है। यह मायने नहीं रखता कि "ए" या "बी" को स्कूल द्वारा उस कर्तव्य के निर्वहन के लिए नियोजित किया जाता है या नहीं। किसी भी मामले में, एक स्कूल और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बीच अनुबंध के रोजगार की शर्तें निम्नानुसार नहीं हो सकती हैं और न ही होनी चाहिएः शिक्षा प्रदान करने के दायित्व का एक अविभाज्य हिस्सा माना जाता है। यह विशेष रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में है जो किसी विशेष कर्मचारी के खिलाफ शुरू की जा सकती है। यह केवल वहाँ है जहाँ गैर-शिक्षण कर्मचारियों के कर्मचारी को हटाने को कुछ वैधानिक प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है, कानून के उल्लंघन में नियोक्ता द्वारा इसके उल्लंघन में अदालत द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। लेकिन इस तरह का हस्तक्षेप कानून के उल्लंघन के आधार पर होगा न कि जनता के निर्वहन में हस्तक्षेप के आधार पर।

कर्तव्य।

(ई) मूल रिट याचिका में दलीलों से, यह स्पष्ट है

कि किसी भी सार्वजनिक कानून का कोई भी तत्व उत्तेजित या अन्यथा नहीं बनाया गया है। दूसरे शब्दों में, चुनौती दी गई कार्रवाई का कोई सार्वजनिक तत्व नहीं है और आदेश की रिट जारी नहीं की जा सकती है क्योंकि कार्रवाई अनिवार्य रूप से एक निजी थी। चरित्र।

69. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का यह विचार उचित था कि -

अनुच्छेद के तहत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर मूल रिट आवेदन

226 संविधान बनाए रखने योग्य नहीं है। अपील न्यायालय के बारे में कहा जा सकता है कि उसने विपरीत दृष्टिकोण रखने में त्रुटि की है।

70. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अपील सफल होती है और इसके द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है। 2017 की रिट अपील संख्या 485 में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को खारिज कर दिया गया है। तदनुसार रिट आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया जाता है कि

रखरखाव। यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि यह प्रतिवादी संख्या 1 के लिए खुला होगा कि वह इस मुद्दे को स्वयं सी. बी. एस. ई. या राज्य के साथ उठाए या कानून के अनुसार उसके लिए उपलब्ध किसी अन्य कानूनी उपाय का लाभ उठा सके। हम स्पष्ट करते हैं कि हमने अन्यथा कोई राय व्यक्त नहीं की है।

मामले के गुण-दोष पर।

71. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

ए.

72. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

(सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए)